महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021

धाराओं का क्रम

धाराएं

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना ।

2. परिभाषाएं ।

अध्याय 2

महापत्तन प्राधिकरण बोर्ड

3. महापत्तन प्राधिकरण बोर्ड का गठन और संरचना ।

4. बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताएं ।

5. कतिपय परिस्थितियों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य की पद से निरर्हता ।

6. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि ।

7. हित का प्रकटन ।

8. सदस्यों का त्यागपत्र ।

9. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाया जाना ।

10. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना ।

11. स्वतंत्र सदस्यों को संदेय मानदेय ।

12. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की शक्तियां और कर्तव्य ।

13. बोर्ड की बैठकें ।

14. बोर्ड की समितियां ।

15. शक्तियों का प्रत्यायोजन ।

16. पुनर्नियुक्ति पर निर्बंधन 7।

17. रिक्तियों, आदि का बोर्ड की कार्यवाहियों को अविधिमान्य न करना ।

18. नियुक्तियां करने की शक्ति ।

19. बोर्ड के आदेशों और अन्य लिखतों का अधिप्रमाणन ।

अध्याय 3

प्रबंधन और प्रशासन

क. महापत्तन प्राधिकरण के कर्मचारिवृंद

20. बोर्ड के कर्मचारिवृंद की सूची ।

ख. संपत्ति और संविदाएं

21. बोर्ड को महापत्तन न्यासी बोर्ड के उत्तरवर्ती के रूप में समझा जाना ।

22. बोर्ड द्वारा पत्तन की आस्तियों का उपयोग ।

23. प्रक्रिया, जब करार द्वारा स्थावर संपत्ति का अर्जन नहीं किया जा सकता है ।

24. बोर्ड द्वारा संविदाएं ।

धाराएं

ग. योजना और विकास

25. महायोजना।

26. योजना और विकास के संबंध में बोर्ड की शक्तियां।

घ. दरों का अधिरोपण

27. महापत्तन पर उपलब्ध आस्तियों और सेवाओं के लिए दरों का परिमाण।

28. दरों के लिए बोर्ड का धारणाधिकार।

29. पोत के स्वामी का मालभाड़े और अन्य प्रभारों के लिए धारणाधिकार।

30. माल विक्रय और कतिपय मामलों में विक्रय आगत का उपयोग।

31. जलयानों के करस्थम् द्वारा दरों और प्रभारों की वसूली।

32. न्यायनिर्णायिक बोर्ड को आवेदन।

अध्याय 4

महापत्तन प्राधिकरणों बोर्डों की उधार लेने और प्रतिभूतियों के संबंध में शक्तियां

क. महापत्तन प्राधिकरणों के बोर्डों की वित्तीय शक्तियां

33. उधार लेने और प्रतिभूतियां देने की शक्ति।

34. पृष्ठांकनों का स्वयं प्रतिभूति पर किया जाना।

35. प्रतिभूति का पृष्ठांकनकर्ता का उसकी रकम के लिए उत्तरदायी न होना।

36. कतिपय मामलों में पत्तन प्रतिभूतियों के धारक के रूप में मान्यता और उसके विधिक प्रभाव।

37. कतिपय मामलों में उन्मोचन।

38. महापत्तन प्राधिकरणों के बोर्डों द्वारा ली गई उधारों के लिए प्रतिभूति।

39. देय तारीख से पूर्व सरकार को उधारों के प्रतिसंदाय करने की बोर्ड की शक्ति।

40. निक्षेप निधि की स्थापना और उपयोजन।

41. विद्यमान उधारों और प्रतिभूतियों का जारी रहना।

ख. महापत्तन प्राधिकरणों के साधारण खाते

42. बोर्ड के साधारण खाते।

43. साधारण खातों में धन का उपयोजन।

ग. लेखा और संपरीक्षा

44. लेखा और संपरीक्षा।

अध्याय 5

केन्द्रीय सरकार का पर्यवेक्षण

45. प्रशासन रिपोर्ट।

46. बोर्ड के कार्यों का सर्वेक्षण या परीक्षण करने का आदेश करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति।

47. बोर्ड के खर्चों पर कार्यों का प्रत्यावर्तन करने या उन्हें पूरा करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति।

48. केन्द्रीय सरकार की बोर्ड के प्रबंध को ग्रहण करने की शक्ति।

49. रिपोर्ट का रखा जाना।

50. पत्तन आस्तियों का उपयोग करने की बाध्यता से छूट देने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति।

धाराएं

51. बोर्ड द्वारा केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के बिना उसकी आस्तियों, संपत्तियों, अधिकारों, शक्तियों और प्राधिकारों का विक्रय, अन्य संक्रामण या निर्निहित न किया जाना।

52. बोर्ड को दिए गए उधारों के संबंध में सरकार के उपचार।

53. केन्द्रीय सरकार की निदेश जारी करने की शक्ति।

अध्याय 6

न्यायनिर्णायक बोर्ड का गठन

54. न्यायनिर्णायक बोर्ड का गठन।

55. न्यायनिर्णायक बोर्ड की संरचना।

56. न्यायनिर्णायक बोर्ड के पीठासीन अधिकारी और सदस्यों की अर्हताएं, सेवा की निबंधन और शर्तें।

57. न्यायनिर्णायक बोर्ड के पीठासीन अधिकारी और सदस्यों का हटाया जाना और निलंबित किया जाना।

58. न्यायनिर्णायक बोर्ड की शक्तियां और कृत्य।

59. किसी न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन।

60. पुनर्विलोकन और अपील।

61. न्यायनिर्णायक बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी।

अध्याय 7

शास्तियां

62. अपराधों के दंड के लिए साधारण उपबंध।

63. कंपनियों द्वारा अपराध।

अध्याय 8

प्रकीर्ण

64. अपराधों का संज्ञान।

65. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।

66. बोर्ड या न्यायनिर्णायक बोर्ड के कर्मचारियों का लोक सेवक होना।

67. अन्य विधियों का लागू होना वर्जित न होना।

68. बोर्ड के परिसरों से कतिपय व्यक्तियों को बेदखल करने की शक्ति।

69. वाद द्वारा अनुकल्पी उपचार।

70. निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और बोर्ड द्वारा अवसंरचना का विकास।

71. केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

72. बोर्ड की विनियम बनाने की शक्ति।

73. नियमों और विनियमों का रखा जाना।

74. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

75. निरसन और व्यावृत्तियां।

76. संक्रमणकालीन उपबंध।

महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021

(2021 का अधिनियम संख्यांक 1)

[17 फरवरी, 2021]

भारत में महापत्तनों के विनियमन, प्रचालन और योजना के लिए तथा महापत्तन प्राधिकरणों के बोर्डों में ऐसे पत्तनों के प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन को निहित करने तथा उससे संबद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 है ।

(2) यह उस तारीख[1] को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

(3) यह चेन्नई, कोचीन, दीनदयाल (कांडला), जवाहर लाल नेहरू (नहावा शेवा), कोलकाता, मोरमुगाव, मुंबई, न्यू मंगलौर, पारादीप, वी.ओ. चिदम्बरानार (तूतीकोरिन) और विशाखापत्तनम महापत्तनों को लागू होगा ।

2. परिभाषाएं—(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "न्यायनिर्णायक बोर्ड" से केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 54 की उपधारा (1) के अधीन गठित बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ख) "बोर्ड" से केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 3 की उपधारा (1) के अनुसार इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक महापत्तन के लिए गठित महापत्तन प्राधिकरण बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ग) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए "पूंजी आरक्षिती" से धारा 43 की उपधारा (1) में उपवर्णित आरक्षितियों को छोड़कर आरक्षितियों का कुल योग और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में बोर्ड की वर्तमान आस्तियों का मूल्य अभिप्रेत होगा ;

(घ) "अध्यक्ष" से धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(ङ) "उपाध्यक्ष" से धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त बोर्ड का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है;

(च) "डॉक" में सभी बेसिन, लॉक, कट, प्रवेश, ग्रेविन्ग डॉक, ग्रेविन्ग ब्लॉक, इन क्लाइंड प्लेन्स, स्लिपवेज़, ग्रिडआयरन्स, मुरिन्गस, ट्रांजिट-शेड, वेयर हाऊस, ट्रामवेज, रेलवे और अन्य संकर्म तथा चीजें सम्मिलित हैं, जो किसी डॉक से संबद्ध हैं और इसके अंतर्गत किसी बंदरगाह की आर्म या पुलीनरोध द्वारा परिवेष्ठित या संरक्षित समुद्र का भाग भी हैं ;

(छ) किसी महापत्तन के संबंध में "तटाग्र" से उस महापत्तन के संबंध में उच्च ज्वार चिह्न और निम्न ज्वार चिह्न के बीच का क्षेत्र अभिप्रेत है ;

(ज) "माल" के अंतर्गत पशुधन और हर प्रकार की जंगम संपत्ति भी है ;

(झ) "गंभीर आपात" से केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अवधारित ऐसी स्थिति अभिप्रेत है, जिसमें बोर्ड समुचित रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है और इसके अंतर्गत राजद्रोह, अपालन, विधिविरुद्ध और अवैध कार्रवाइयां, उपेक्षा तथा वित्तीय दुर्विनियोग अभिप्रेत है ;

(ञ) किसी महापत्तन के संबंध में "उच्च ज्वार चिह्न" से वह रेखा अभिप्रेत है जो उस महापत्तन पर वर्ष की किसी भी ऋतु में सामान्य वृहत् ज्वार द्वारा पहुंचाए गए उच्चतम बिन्दुओं के माध्यम से खींची गई है ;

(ट) "स्थावर संपत्ति" के अंतर्गत घाट-भाड़ा अधिकार और किसी भूमि, घाट, डॉक या बंगसार उस पर या उसकी बाबत प्रयोक्तव्य सभी अन्य अधिकार भी हैं ;

(ठ) "स्वतंत्र सदस्य" से धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्ति बोर्ड का कोई सदस्य अभिप्रेत है ;

---

[1] 3 नवम्बर, 2021, अधिसूचना का०आ० 4504 (अ) तारीख 29 अक्तूबर, 2021 द्वारा, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II खंड 3(ii) देखिए।

(ड) "भारतीय पत्तन अधिनियम" से भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) अभिप्रेत है ;

(ढ) "भूमि" के अंतर्गत उच्चतम ज्वार चिह्न के नीचे समुद्र या नदी का तल और वे चीजें भी हैं जो भूबद्ध है या भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हैं ;

(ण) किसी महापत्तन के संबंध में "निम्न ज्वार चिह्न" से वह रेखा अभिप्रेत है जो उस महापत्तन पर वर्ष की किसी भी ऋतु में सामान्य वृहत ज्वार द्वारा पहुंचाए गए निम्नतम बिन्दु के माध्यम से खींची गई है ;

(त) "महापत्तन" या "महापत्तन प्राधिकरण" से भारतीय पत्तन अधिनियम की धारा 3 के खंड (8) में यथापरिभाषित महापत्तन अभिप्रेत है ;

(थ) किसी महापत्तन के संबंध में "महापत्तन पहुंच मार्ग" से महापत्तन की ओर जाने वाली उन नाव्य नदियों और जलसरणियों के वे भाग अभिप्रेत हैं जहां भारतीय पत्तन अधिनियम प्रवृत्त है ;

(द) किसी महापत्तन का प्रयोग करने वाले किसी जलयान या किसी वायुयान के संबंध में "मास्टर" से पायलट, बंदरगाह मास्टर, सहायक बंदरगाह मास्टर, डॉक मास्टर या महापत्तन के बर्थिंग मास्टर के सिवाय, ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके भारसाधक या नियंत्रण में, यथास्थिति, ऐसा जलयान या वायुयान तत्समय है ;

(ध) "सदस्य" से धारा 4 की उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन नियुक्त बोर्ड का सदस्य अभिप्रेत है ;

(न) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और "अधिसूचित करना" और "अधिसूचित" पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(प) "पीठासीन अधिकारी" से धारा 55 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त न्यायनिर्णायक बोर्ड का पीठासीन अधिकारी अभिप्रेत है;

(फ) "स्वामी" के अन्तर्गत,—

(i) माल के संबंध में, ऐसे माल का विक्रय, अभिरक्षा, लदाई या उतराई के लिए कोई परेषक, परेषिती, माल भेजने वाला या अभिकर्ता भी है ; और

(ii) किसी महापत्तन का उपयोग करने वाले किसी जलयान या किसी वायुयान के संबंध में उसका कोई भागिक स्वामी, चार्टरर परेषिती या कब्जेधारी बंधक भी है ;

(ब) "बंगसार" के अंतर्गत कोई मंच, सीढ़ियां, उतराई स्थान, हार्ड, जेट्टी, प्लवमान बजरा, पोतांतरक या पीपों का पुल और कोई पुल या उससे संबद्ध अन्य संकर्म भी हैं ;

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजन के लिए, "पोतांतरक" पद से कोई प्लवमान यान या जलयान अभिप्रेत है, चाहे डंब या स्वचालित हो, जिस पर किसी बजरे या घाट से स्थोरा को हटाने और उसे किसी पोत पर लादने के लिए गियरों का उपबंध किया गया है ;

(भ) "पत्तन आस्तियां" से पत्तन सीमाओं के भीतर की कोई आस्ति अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत भूमि, जंगम या स्थावर संपत्ति या कोई अन्य संपत्ति भी है, चाहे वह मूर्त या अमूर्त हो, जो, यथास्थिति, बोर्ड के स्वामित्व में हो या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के माध्यम से बोर्ड में निहित हो ;

(म) किसी महापत्तन के संबंध में "पत्तन सीमा" से ऐसी सीमाएं अभिप्रेत है जिनके अन्तर्गत जलयानों की सुरक्षा के लिए या महापत्तन के सुधार, अनुरक्षण या सुशासन के लिए कोई बंगसार, जेट्टियां, उतराई का स्थान, घाट, फट्टी, डॉक और यातायात की सुविधा के लिए जनता की ओर से किए गए अन्य संकर्म और इसके पहुंच मार्ग चाहे, वे उच्च ज्वार चिह्न के भीतर हो या उसके बाहर हो, और उसमें निजी संपत्ति के किन्हीं अधिकारों के अध्यधीन उच्च ज्वार चिह्न के पचास गज के भीतर तट या बांध का कोई भाग और ऐसे महापत्तन का क्षेत्र, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचना के माध्यम से अवधारित किया जाए, भी है ;

(य) "पत्तन संबंधित उपयोग" से पत्तन प्रचालनों और कार्यकलापों से संबंधित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग अभिप्रेत है ;

(यक) "पत्तन प्रतिभूति" से बोर्ड द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन लिए गए किसी उधार के संबंध में उसके द्वारा जारी या ऐसे उधार के संदाय के लिए जिसके लिए बोर्ड इस अधिनियम के अधीन दायी हैं, किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी डिबेंचर, बंधपत्र या स्टॉक प्रमाणपत्र अभिप्रेत हैं ;

(यख) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत हैं ;

(यग) "पब्लिक प्राइवेट भागीदारी परियोजना" से धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन बोर्ड द्वारा की गई किसी छूट संविदा के माध्यम से आरंभ की गई परियोजनाएं अभिप्रेत हैं ;

(यघ) "दर" के अंतर्गत इस अधिनियम के अधीन कोई टोल, देय, भाटक, दर, फीस या उद्ग्रहणीय प्रभार सम्मिलित हैं ;

(यङ) "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं ;

(यच) "जलयान" के अंतर्गत मानव या माल के जलमार्ग द्वारा प्रवहण के लिए बनाई गई कोई चीज सम्मिलित है ;

(यछ) "घाट" के अंतर्गत कोई दीवार या मंच और भूमि या तटाग्र का कोई भाग सम्मिलित है, जो माल की लदाई या उतराई के लिए या यात्रियों को चढ़ाने या उतारने के लिए प्रयोग किया जा सके और उसे परिवेष्ठित करने वाली या उससे लगी हुई कोई दीवार सम्मिलित है ।

(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त शब्द और पद, किंतु जो परिभाषित नहीं हैं और जो भारतीय पत्तन अधिनियम में परिभाषित हैं, का क्रमश: वही अर्थ होगा जो उनका उस अधिनियम में है ।

अध्याय 2

महापत्तन प्राधिकरण बोर्ड

3. महापत्तन प्राधिकरण बोर्ड का गठन और संरचना—(1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से नब्बे दिन की कालावधि के भीतर, अधिसूचना द्वारा, प्रत्येक महापत्तन के संबंध में उस पत्तन के लिए, महापत्तन प्राधिकरण के नाम से एक बोर्ड का गठन करेगी, जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) अध्यक्ष ;

(ख) उपाध्यक्ष ;

(ग) निम्नलिखित प्रत्येक में से एक-एक सदस्य—

(i) संबंधित राज्य सरकार, जिसमें महापत्तन स्थित है ;

(ii) रेल मंत्रालय ;

(iii) रक्षा मंत्रालय ; और

(iv) सीमाशुल्क, राजस्व विभाग ;

(घ) दो से अन्यून और चार से अनधिक स्वतंत्र सदस्य ;

(ङ) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले निदेशक से अन्यून पंक्ति का एक सदस्य, पदेन ; और

(च) महापत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो सदस्य :

परंतु महापत्तन प्राधिकरण बोर्ड का गठन हो जाने तक महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 के अधीन गठित न्यासी बोर्ड कार्य करता रहेगा और इस अधिनियम के अधीन बोर्ड के गठन के ठीक पश्चात् अस्तित्व में नहीं रहेगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन गठित प्रत्येक महापत्तन प्राधिकरण बोर्ड एक स्थायी निकाय होगा जिसके पास शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जंगम और स्थावर संपत्ति, दोनों का अर्जन, धारण या व्ययन करने तथा संविदा करने की शक्ति होगी तथा उक्त नाम से वह वाद लाएगा या उस पर वाद लाया जाएगा ।

4. बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताएं—(1) केन्द्रीय सरकार द्वारा बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनने वाली चयन समिति की सिफारिश पर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, की जाएगी ।

(2) धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग), खंड (घ) और खंड (ङ) में यथावर्णित बोर्ड के सदस्य ऐसी अर्हताएं और अनुभव रखेंगे तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी रीति में नियुक्त किए जाएंगे, जो विहित की जाए ।

(3) धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (च) में निर्दिष्ट सदस्यों की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा महापत्तन प्राधिकरण बोर्ड के सेवारत कर्मचारियों में से, व्यवसाय संघ की राय अभिप्राप्त करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जो महापत्तन में नियोजित व्यक्तियों से मिलकर बना हो और जो व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 (1926 का 16) के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, की जाएगी ।

(4) बोर्ड के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य के पद पर नामनिर्दिष्ट या नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपने नामनिर्देशन या नियुक्ति के तीस दिन के भीतर बोर्ड को अपनी सहमति और एक घोषणा प्रस्तुत करेगा कि वह ऐसा पद धारण करने के लिए निरर्हित या अपात्र नहीं है या ऐसे पद को धारण करने के लिए उसके हित का कोई विरोध नहीं है ।

5. कतिपय परिस्थितियों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य की पद से निरर्हता—(1) कोई व्यक्ति, बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा या उस रूप में नहीं बना रहेगा, यदि—

(क) उसे दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है ;

(ख) वह शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो गया है ;

(ग) उसे किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है, जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है ;

(घ) वह लाभ का पद धारण करता है ; या

(ङ) उसने धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन मिथ्या घोषणा की है ; या

(च) उसे महापत्तन प्राधिकरण, सरकार या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन किसी निगमित निकाय की सेवा से हटा दिया गया है या पदच्युत किया गया है ; या

(छ) किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए उसे निरर्हित करने का कोई आदेश पारित किया गया है और ऐसा आदेश प्रवृत्त है ।

(2) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को उसके साबित कदाचार या असमर्थता या धारा 7 के उपबंधों के उल्लंघन के आधार पर केन्द्रीय सरकार के आदेश के सिवाय अपने पद से नहीं हटाया जाएगा जब केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विहित प्रक्रिया के अनुसार हुई जांच पर, केन्द्रीय सरकार, इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि सदस्य को किसी ऐसे आधार पर हटाया जाना चाहिए ।

(3) केन्द्रीय सरकार, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को, जिसके संबंध में उपधारा (2) के अधीन कोई जांच आरंभ की जा रही है या लंबित है, निलंबित कर सकेगी जब तक कि केन्द्रीय सरकार द्वारा जांच की रिपोर्ट की प्राप्ति पर कोई आदेश पारित नहीं कर दिया जाता है ।

6. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि—(1) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उस तारीख से, जिसको वे अपना पद धारण करते हैं, से पाँच वर्ष से अनधिक अवधि के लिए या जब तक वह अधिवर्षिता की आयु प्राप्त नहीं कर लेते हैं, इनमें से जो भी पूर्वत्तर हों, अपना पद धारण करेंगे ।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन किसी पद के आधार पर बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति बोर्ड का तब तक सदस्य बना रहेगा जब तक वह उस पद को धारण करता रहता है ।

(3) कोई स्वतंत्र सदस्य अपनी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष तक या सत्तर वर्ष की आयु तक, इनमें से जो भी पहले हो, पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा :

परंतु कोई स्वतंत्र सदस्य दो पदावधियों से अधिक के लिए पद धारण नहीं करेगा :

परंतु यह और कि कोई स्वतंत्र सदस्य, तीन वर्ष की उक्त कालावधि के दौरान, किसी महापत्तन प्राधिकरण में नियुक्त नहीं किया जाएगा या उससे किसी अन्य हैसियत में या तो प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: सहबद्ध नहीं किया जाएगा ।

(4) धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन नियुक्त सदस्य अपनी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या जब तक वह अधिवर्षिता की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है, इनमें से जो भी पहले हो, पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा :

परंतु ऐसा कोई सदस्य दो पदावधियों से अधिक के लिए पद धारण नहीं करेगा ।

7. हित का प्रकटन—केन्द्रीय सरकार, किसी व्यक्ति को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त करने से पूर्व स्वयं का यह समाधान करेगी कि उस व्यक्ति का कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं है, जिससे ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है :

परंतु जहां अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य, जो ऐसा पद धारण करते समय इस प्रकार संबद्ध या हितबद्ध नहीं है, वह यदि बाद में संबद्ध या हितबद्ध हो जाता है तो वह अपने सरोकार या हित का संबद्ध या हितबद्ध होने के तुरंत पश्चात् या उसके इस प्रकार संबद्ध या हितबद्ध होने के पश्चात् आयोजित बोर्ड की प्रथम बैठक में प्रकटन करेगा और तुरंत त्यागपत्र देगा ।

8. सदस्यों का त्यागपत्र—अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य केन्द्रीय सरकार को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर से लिखित सूचना द्वारा अपना पद त्याग सकेंगे और ऐसे त्यागपत्र को उस सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने के पश्चात्, उनका पद रिक्त हुआ समझा जाएगा ।

9. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाया जाना—केन्द्रीय सरकार, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी सदस्य को हटा देगी, यदि वह—

(क) धारा 5 में उल्लिखित किसी निरर्हता के अधीन हो जाता है ; या

(ख) केन्द्रीय सरकार की राय में, उस हित का प्रतिनिधित्व करना बंद कर देता है जिसके लिए उसकी नियुक्ति की गई थी या चयन किया गया था ; या

(ग) कार्य करने से इंकार कर देता है या कार्य करने में अक्षम हो जाता है ; या

(घ) बोर्ड की पूर्व अनुज्ञा के बिना, बोर्ड की लगातार छह सामान्य बैठकों से अनुपस्थित रहता है ; या

(ङ) बोर्ड की बैठकों से लगातार छह मास से अधिक की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है ; या

(च) इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में कार्य करता है ।

10. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना—अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य का पद, उसकी मृत्यु, पदत्याग या बीमारी अथवा अन्य अक्षमता के कारण उसके कृत्यों के निर्वहन में असमर्थता के कारण रिक्त हो जाता है तो केन्द्रीय सरकार, ऐसी रिक्ति होने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर नई नियुक्ति करके इसे भरेगी और इस प्रकार नियुक्त सदस्य, उस व्यक्ति की शेष पदावधि के लिए पद धारण करेगा जिसके स्थान पर उसे इस प्रकार नियुक्त किया जाता है ।

11. स्वतंत्र सदस्यों को संदेय मानदेय—स्वतंत्र सदस्यों को ऐसा मानदेय संदत्त किया जाएगा, जो विहित किया जाए ।

12. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की शक्तियां और कर्तव्य—अध्यक्ष और उसकी अनुपस्थिति में, उपाध्यक्ष या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को महापत्तन प्राधिकरण के कार्यों का संचालन करने के लिए साधारण अधीक्षण और निदेश देने की शक्तियां होंगी तथा वह, बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करने के अतिरिक्त, महापत्तन प्राधिकरण के सभी कर्मचारियों के कार्यों पर और ऐसे बोर्ड के लेखाओं और अभिलेखों से संबद्ध विषयों पर अधीक्षण और नियंत्रण का प्रयोग करेगा ।

13. बोर्ड की बैठकें—(1) बोर्ड ऐसे स्थान और समय पर बैठकें करेगा तथा अपनी बैठकों (जिसके अंतर्गत ऐसी बैठकों में गणपूर्ति भी है) में कारबार के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का अनुसरण करेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

(2) यदि अध्यक्ष किसी कारण से, बोर्ड की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है तो उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा उनके बीच में से चुना गया कोई अन्य सदस्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

(3) बोर्ड की किसी बैठक के समक्ष आने वाले सभी प्रश्नों का—

(क) विनिश्चय उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा और मतों के बराबर होने की दशा में, अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का निर्णायक मत होगा ;

(ख) यथासंभवशीघ्र निपटान किया जाएगा और बोर्ड, आवेदन प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की कालावधि के भीतर उनका निपटान करेगा :

परंतु जहां ऐसे आवेदन का उक्त साठ दिन की कालावधि के भीतर निपटान नहीं किया जा सका है वहां बोर्ड उस कालावधि के भीतर आवेदन का निपटारा न करने के इसके कारणों को लेखबद्ध करेगा ।

14. बोर्ड की समितियां —(1) बोर्ड, समय-समय पर, अपने सदस्यों में से और किसी अन्य व्यक्ति से, उसके ऐसे कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए समितियों का गठन कर सकेगा, जो बोर्ड द्वारा ऐसी समिति या समितियों को प्रत्यायोजित किए जाएं ।

(2) इस धारा के अधीन गठित समिति या समितियां ऐसे समय और ऐसे स्थान पर बैठक करेंगी और अपनी बैठकों में (जिसके अंतर्गत गणपूर्ति है) कारबार के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेंगी, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

15. शक्तियों का प्रत्यायोजन—बोर्ड, अपनी शक्तियों का प्रयोग, कृत्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए, लिखित रूप में साधारण या विशेष आदेश द्वारा निम्नलिखित विनिर्दिष्ट कर सकेगा—

(क) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन बोर्ड को प्रदत्त शक्तियां और कर्तव्य या उसको अधिरोपित कर्तव्य और शक्तियां, जिनका निष्पादन या प्रयोग अध्यक्ष द्वारा भी किया जा सकेगा ; और

(ख) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अध्यक्ष को अधिरोपित या प्रदत्त शक्तियां और कर्तव्य, जिनका प्रयोग बोर्ड के उपाध्यक्ष या किसी अधिकारी या अधिकारियों द्वारा भी किया जा सकेगा और वे शर्तें और निर्बंधन, यदि कोई हों, जिनके अधीन शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग और निर्वहन किया जा सकेगा :

परंतु इस खंड के अधीन बोर्ड के उपाध्यक्ष या किसी अन्य अधिकारी को प्रदत्त या अधिरोपित शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग और निर्वहन अध्यक्ष के अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन रहते हुए उसके द्वारा किया जाएगा ।

16. पुनर्नियुक्ति पर निर्बंधन—(1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कोई अन्य सदस्य, पद पर नहीं रह जाने पर, एक वर्ष की अवधि के लिए, महापत्तन से संबंधित किसी संगठन में, जिसके मामले यथास्थिति, ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य द्वारा निपटाए गए हैं या जब वह उस रूप में ऐसा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य का पद धारण किए हुए था, तब मामला बोर्ड के समक्ष था, कोई नियोजन (जिसके अंतर्गत परामर्शी या अन्यथा के रुप में भी है) स्वीकार नहीं करेगा ।

(2) उपधारा (1) की कोई बात, यथास्थिति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी सदस्य को केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या अनुरक्षित महापत्तन से संबंधित किसी संगठन में कोई नियोजन स्वीकार करने से निवारित नहीं करेगी ।

17. रिक्तियों, आदि का बोर्ड की कार्यवाहियों को अविधिमान्य न करना—बोर्ड का कोई कृत्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि—

(क) बोर्ड में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है ; या

(ख) ऐसे बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है ; या

(ग) बोर्ड की प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है, जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डाल रही है ।

18. नियुक्तियां करने की शक्ति—(1) किसी पद पर, चाहे अस्थायी हो या स्थायी, किसी व्यक्ति को नियुक्त करने की शक्ति—

(क) किसी पद की दशा में—

(i) जिसके पदधारी को किसी विभाग का अध्यक्ष माना जाना है ; या

(ii) जिस पर ऐसे पदधारी की नियुक्ति की जानी है ; या

(iii) जिसका अधिकतम वेतनमान (भत्तों को छोड़कर) ऐसी रकम से अधिक है, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे,

अध्यक्ष के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य होगी ।

(ख) किसी अन्य पद की दशा में, अध्यक्ष द्वारा या किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्रयोक्तव्य होगी, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए :

परंतु किसी व्यक्ति को किसी पत्तन पर पाइलट नियुक्त नहीं किया जाएगा, जो तत्समय केन्द्रीय सरकार द्वारा भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) के उपबंधों के अधीन उस पर या किसी अन्य पत्तन पर जलयानों को चलाने के लिए प्राधिकृत नहीं है ।

(2) केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा किसी पद को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिसके पदधारी को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विभागाध्यक्ष माना जाएगा ।

19. बोर्ड के आदेशों और अन्य लिखतों का अधिप्रमाणन—बोर्ड द्वारा जारी सभी आदेश, विनिश्चय और अन्य लिखतें अध्यक्ष के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे ।

अध्याय 3

प्रबंधन और प्रशासन

क. महापत्तन प्राधिकरण के कर्मचारिवृंद

20. बोर्ड के कर्मचारिवृंद की सूची—बोर्ड, प्रत्येक पाँच वर्ष के पश्चात् महापत्तन प्राधिकरण बोर्ड के कर्मचारियों की एक सूची तैयार करेगा और उसे केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा जिसमें कर्मचारियों के पदनाम और ग्रेड तथा उनको संदत्त किए जाने वाले प्रस्तावित वेतन, फीस और भत्ते उपदर्शित हों ।

ख. संपत्ति और संविदाएं

21. बोर्ड को महापत्तन न्यासी बोर्ड के उत्तरवर्ती के रूप में समझा जाना— बोर्ड के गठन की तारीख से ही—

(क) महापत्तन प्राधिकरण बोर्ड, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) के अधीन गठित न्यासी बोर्ड का उत्तराधिकारी होगा ;

(ख) न्यासी बोर्ड की सभी आस्तियां और दायित्व बोर्ड को अंतरित हो जाएंगे और उसमें निहित होंगे ;

स्पष्टीकरण—खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए, न्यासी बोर्ड की आस्तियों में सभी अधिकारों और शक्तियों, सभी संपत्तियों, चाहे जंगम हो या स्थावर, जिसके अंतर्गत विशिष्टतः नकद शेष, जमा और ऐसी संपत्तियों में या उससे उदभूत सभी अन्य हित और अधिकार, जो न्यासी बोर्ड के कब्जे में हों और उससे संबंधित सभी लेखाबहियां तथा अन्य दस्तावेज भी हैं, को सम्मिलित माना जाएगा और दायित्वों में चाहे किसी भी प्रकार की हों, सभी ऋणों, देनदारियों और बाध्यताओं को सम्मिलित होना माना जाएगा ;

(ग) खंड (क) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सभी ऋण, बाध्यताएं और उपगत दायित्व तथा उस तारीख से तुरंत पूर्व न्यासी बोर्ड द्वारा उक्त न्यासी बोर्ड के प्रयोजन के संबंध में या उसके साथ की गई सभी संविदाओं को बोर्ड द्वारा किया गया या उसके साथ या उसके लिए किया गया समझा जाएगा ;

(घ) उस तारीख से ठीक पूर्व न्यासी बोर्ड को देय सभी धनराशियां बोर्ड को देय समझी जाएंगी ;

(ङ) उस तारीख से ठीक पूर्व न्यासी बोर्ड द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित सभी वाद और अन्य विधिक कार्यवाहियां जो बोर्ड द्वारा या बोर्ड के विरुद्ध संस्थित की जा सकती थीं, को जारी रखा जा सकेगा या उनको बोर्ड द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित किया जा सकेगा ;

(च) उस तारीख से ठीक पूर्व महापत्तन न्यासी बोर्ड के अधीन सेवा कर रहा प्रत्येक कर्मचारी, बोर्ड का कर्मचारी हो जाएगा, वह उसमें अपना पद या सेवा उसी अवधि तक और सेवा के उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर धारण करेगा, जो वह उन शर्तों पर धारण करता यदि बोर्ड की स्थापना नहीं की गई होती और वह ऐसा करना तब तक जारी रखेगा जब तक बोर्ड में उसके नियोजन को समाप्त नहीं कर दिया जाता है या जब तक बोर्ड द्वारा उसकी पदावधि, पारिश्रमिक या सेवा के निबंधनों और शर्तों में परिवर्तन नहीं कर दिया जाता है :

परंतु ऐसे किसी कर्मचारी की पदावधि, पारिश्रमिक और सेवा के निबंधन और शर्तों में केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति के बिना उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा; और

(छ) प्रत्येक व्यक्ति, जो महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) के अधीन ऐसी तारीख से ठीक पूर्व न्यासी बोर्ड से कोई सेवानिवृत्ति फायदा प्राप्त कर रहा था, बोर्ड से ऐसा फायदा प्राप्त करता रहेगा :

परंतु केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना ऐसे व्यक्ति के सेवानिवृत्ति फायदे का बोर्ड द्वारा उसके प्रति अलाभकारी कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

22. बोर्ड द्वारा पत्तन की आस्तियों का उपयोग—(1) प्रत्येक महापत्तन का बोर्ड उसकी संपत्ति, आस्तियों और निधियों का ऐसी रीति में और ऐसे प्रयोजनों के लिए उपयोग करने का हकदार होगा, जो वह महापत्तन के फायदे के लिए उचित समझे ।

(2) सभी पत्तन आस्तियों का उपयोग और विकास इस निमित्त बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार और नगरपालिक, स्थानीय या सरकारी विनियमों को छोड़कर किया जाएगा :

परंतु बोर्ड द्वारा भूमि या स्थावर संपत्ति के विक्रय के लिए कोई संविदा या ठहराव या पत्तन संबंधित उपयोग और गैर-पत्तन संबंधित उपयोग के लिए भूमि या स्थावर संपत्ति के पट्टे की अवधि और रीति वह होगी, जो विहित की जाए :

परंतु यह और कि बोर्ड द्वारा पब्लिक प्राइवेट भागीदारी परियोजनाओं के लिए भूमि या स्थावर संपत्ति के पट्टे की अवधि केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी पब्लिक प्राइवेट भागीदारी परियोजनाओं के संबंध में अधिसूचित नीति के अधीन होगी :

(3) प्रत्येक महापत्तन बोर्ड, पत्तन विकास या राष्ट्रीय हित में वाणिज्य और व्यापार में सुधार करने के लिए ऐसे सिविल संरचनाओं को खड़ा कर सकेगा, संनिर्माण कर सकेगा या निर्मित कर सकेगा, जिसके लिए जब तक कि केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रकार आज्ञापक न हो, राज्य प्राधिकारियों से कोई विनियामक अनुज्ञप्ति या अनुमोदन अपेक्षित नहीं होगा ।

(4) उन पत्तन आस्तियों के लिए, जो उतराई स्थानों और सीमाशुल्क क्षेत्र की सीमाओं से संबधित है और जिसमें सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अधीन सीमाशुल्क आयुक्त से नया अनुमोदन अपेक्षित है, प्रत्येक महापत्तन प्राधिकरण बोर्ड, अधिसूचना द्वारा, सीमाशुल्क आयुक्त से उक्त अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात्, ऐसी पत्तन आस्तियों की उपलब्धता और तैयारी की घोषणा करेगा ।

23. प्रक्रिया, जब करार द्वारा स्थावर संपत्ति का अर्जन नहीं किया जा सकता है— जहां बोर्ड के प्रयोजनों के लिए कोई स्थावर संपत्ति अपेक्षित है तो यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, बोर्ड के अनुरोध पर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन और उस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर तथा कार्यवाहियों के संबंध में सरकार द्वारा उपगत प्रभारों के संदाय पर उसके अर्जन को उपाप्त कर सकेगी और वह भूमि बोर्ड में निहित हो जाएगी ।

24. बोर्ड द्वारा संविदाएं—(1) प्रत्येक महापत्तन बोर्ड, इस अधिनियम के अधीन, अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक किसी संविदा को करने और उसका निष्पादन करने के लिए सक्षम होगा ।

(2) प्रत्येक महापत्तन बोर्ड के निमित्त की गई प्रत्येक संविदा, अध्यक्ष द्वारा या बोर्ड के किसी ऐसे अधिकारी द्वारा, जिसे अध्यक्ष इस निमित्त साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत करे, की जाएगी और उस पर बोर्ड की सामान्य मुद्रा लगाई जाएगी ।

(3) वह प्ररूप और रीति, जिसमें इस अधिनियम के अधीन कोई संविदा की जाएगी, वह होगी, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

ग. योजना और विकास

25. महायोजना—इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक महापत्तन बोर्ड, पत्तन सीमाओं और उससे अनुलग्नक भूमि के भीतर किसी विकास या स्थापित अवसंरचना या स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित अवसंरचना के संबंध में

विनिर्दिष्ट महायोजना सृजित करने का हकदार होगा और ऐसी महायोजना किसी प्राधिकारी के किसी स्थानीय या राज्य सरकार के विनियमों से, चाहे जो भी हों, स्वतंत्र होगी :

परंतु बोर्ड और किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सृजित महायोजना के बीच किसी विरोध की दशा में, बोर्ड द्वारा सृजित महायोजना अभिभावी होगी ।

26. योजना और विकास के संबंध में बोर्ड की शक्तियां—(1) महापत्तन की योजना और विकास के प्रयोजनों के लिए, बोर्ड को उस महापत्तन के संबंध में सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों से संगत निम्नलिखित विनियम बनाने की शक्ति होगी—

(क) पत्तन सीमाओं और महापत्तन पहुंच मार्गों पर या उनके भीतर, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो आवश्यक या समीचीन समझे जाए, ऐसे संकर्म आरंभ करने, निष्पादित करने और ऐसे कार्य करने तथा ऐसी सेवाएं उपलब्ध कराने ;

(ख) महापत्तन या महापत्तन पहुंच मार्गों पर पत्तन संबंधित क्रियाकलापों और सेवाओं के लिए ऐसी सीमाओं, शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए, जो आवश्यक या समीचीन समझे जाएं, पत्तन आस्तियों की उपलब्धता की घोषणा करने ;

(ग) अवसंरचना सुविधाएं, जिनमें नए पत्तनों, जैट्टियों, नौपरिवहन जलमार्गों, शुष्क पत्तनों और ऐसी अन्य अवसंरचनाएं भी हैं, का और महापत्तन के हित को अग्रसर करने में ऐसी अन्य अवसंरचना का विकास और उन्हें उपलब्ध कराने ;

(घ) किन्हीं पत्तन संबंधी सेवाओं को करने के प्रयोजन के लिए संबंधित स्वामी से माल का प्रभार ग्रहण करने ;

(ङ) आपात की दशा में या किसी अन्य कारण से, किसी समुद्रगामी जलयान के मास्टर या स्वामी या अभिकर्ता को ऐसे जलयान के समीप किसी जलयान को न लाने का या ऐसे जलयान को बोर्ड के या उसके नियंत्रणाधीन किसी डॉक, बाँध, घाट, घट्टी, मंच, जैट्टी या बंगसार से हटाने का आदेश करने की ;

(च) पत्तन सीमाओं या महापत्तन पहुंच मार्गों के भीतर किसी घाट, डॉक, घट्टी, मंच, जैट्टी, बंगसार, भवन या ढांचे, परिनिर्माण या मुरिंग का परिनिर्माण करने, फिक्स करने या उसे हटाने या उक्त सीमाओं के भीतर तटाग्र का उद्धार करने और बोर्ड के कर्मचारियों के निवास और कल्याण के लिए अपेक्षित भवनों और सुखसुविधाओं का ऐसी सीमाओं, शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो आवश्यक या समीचीन समझे जाएं, का स्वयं या किसी व्यक्ति के माध्यम से सन्निर्माण और विकास को अनुज्ञात करने ;

(छ) इस अधिनियम के अधीन किन्हीं माल या जलयान अथवा माल या जलयानों के वर्ग पर किसी दर या उद्ग्रहणीय प्रभार के संदाय से छूट या परिहार का उपबंध करने ;

(ज) जलयानों, यात्रियों, माल या कर्मचारियों के संबंध में कोई अन्य सेवाएं या सुख-सुविधाएं उपलब्ध कराने ;

(झ) समुद्री शिक्षा, तटीय समुदायों के कौशल विकास प्रशिक्षण, नाविक कल्याण और महापत्तन से संबंधित विकास का संवर्धन करने के लिए ऐसे संकर्मों, कार्यकलापों और अध्ययन को आरंभ करने, निष्पादन करने और कार्य करने ; और

(ञ) पत्तन सीमाओं के भीतर ऐसी संरचनाओं, भवनों, जलनिर्गमों, सड़कों, बाड़ों, नलकूपों, अन्तर्ग्राही कूपों, भंडारण प्रसुविधाओं, भांडागारों, पाइप लाइनों, टेलीफोन लाइनों, संचार टावरों, विद्युत आपूर्ति या पारेषण उपस्कर और ऐसे अन्य संकर्मों और सुविधाओं को बनाने या संनिर्माण करने या परिनिर्माण करने, जिसे प्रत्येक महापत्तन का बोर्ड उचित समझे ।

(2) उपधारा (1) के अधीन बोर्ड द्वारा विनियमों को बनाने की शक्ति किसी स्थानीय प्राधिकरण की महापत्तन के संबंध में विनियम बनाने की शक्तियों से स्वतंत्र होगी :

परंतु किसी स्थानीय प्राधिकरण और बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों के बीच किसी विरोध की दशा में, बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियम अभिभावी होंगे ।

घ. दरों का अधिरोपण

27. महापत्तन पर उपलब्ध आस्तियों और सेवाओं के लिए दरों का परिमाण—(1) प्रत्येक महापत्तन प्राधिकरण बोर्ड या इस निमित्त बोर्ड द्वारा धारा 14 के अनुसार गठित प्रत्येक समिति या समितियां,—

(क) उन दरों का परिमाण जिसपर और उन शर्तों जिनके अधीन कोई सेवा निष्पादित की जाएगी या उपलब्ध कराई जाएगी, का विवरण विरचित कर सकेगी ;

(ख) उन दरों के परिमाण और शर्तों के विवरण को, जिसके अधीन पत्तन आस्तियों तक पहुंच और उपयोग को बोर्ड द्वारा अनुज्ञात किया जा सकेगा, विरचित कर सकेगी ;

(ग) खंड (क) में विनिर्दिष्ट सेवाओं के किसी संयोजन या किसी उपयोक्ता के साथ ऐसी सेवा या सेवाओं के किसी संयोजन के लिए दरों के समेकित परिमाण को या खंड (ख) में यथा विनिर्दिष्ट किन्हीं पत्तन आस्तियों के उपयोग या उस तक पहुंच के लिए अनुज्ञा विरचित कर सकेगी ;

(घ) किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई गई सेवाओं के संबंध में बोर्ड द्वारा अधिक प्रभारित किसी रकम का प्रतिदाय करने के लिए कोई आदेश पारित कर सकेगी ;

(ङ) इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति को बोर्ड द्वारा गलती से कम उदग्रहण की गई या प्रतिदाय की गई किसी दर या प्रभार के प्रत्युद्धरण के लिए कोई आदेश पारित कर सकेगी ;

(च) इस धारा के अधीन माल और जलयानों के विभिन्न वर्गों के लिए विभिन्न परिमाण, फीस, दरें और शर्तें विरचित कर सकेंगी :

परंतु ऐसे मापमान, फीस, दर और शर्तों का नियतन और कार्यान्वयन, ऐसे सन्नियमों के अनुकूल होगा जो विहित किए जाए, और—

(i) भूतलक्षी प्रभाव से नहीं होगा ;

(ii) इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों या निदेशों के अल्पीकरण में नहीं होगा ;

(iii) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) के उपबंधों से असंगत नहीं होगा ; और

(iv) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों से असंगत नहीं होगा :

परंतु इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात्, पब्लिक प्राइवेट भागीदारी परियोजनाओं की दशा में, रिआयतग्राही, बाजार दशाओं और ऐसी अन्य दशाओं, जो विहित की जाएं, के आधार पर टैरिफ नियत करेगा :

परंतु यह भी कि राजस्व शेयर और अन्य शर्तें पब्लिक प्राइवेट भागीदारी परियोजना के अधीन नियुक्त बोर्ड और पब्लिक प्राइवेट भागीदारी रिआयतग्राही के बीच विनिर्दिष्ट रियायत करार के उपबंधों के अनुसार होगा।

(2) उपधारा (1) के खंड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड, नीलामी द्वारा या निविदा आमंत्रण करके, उसके कब्जे के या उसके कब्जे में अधिभोग के किसी पत्तन आस्ति को उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन उपबंधित दर से उच्चतर दर पर पट्टे पर दे सकेगा।

28. दरों के लिए बोर्ड का धारणाधिकार (1) बोर्ड, इस अधिनियम के अधीन किसी माल के संबंध में उद्ग्रहणीय सभी दरों की रकमों के लिए और ऐसे बोर्ड को किन्हीं भवनों, कुर्सी भंडारण क्षेत्रों या अन्य परिसरों के लिए जिन पर या जिनमें कोई माल रखे गए हों ऐसे बोर्ड को देय भाटक के लिए ऐसे माल पर धारणाधिकार होगा और वह उसे अभिगृहीत कर सकेगा तथा उसे तब तक निरुद्ध कर सकेगा जब तक ऐसी दरों और भाटकों का पूर्णतया संदाय न कर दिया जाए।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट धारणाधिकार को सभी अन्य धारणाधिकारों और दावों पर सिवाय साधारण औसत और मालभाड़े के लिए उक्त माल पर पोत के स्वामी के उस धारणाधिकार के और अन्य प्रभारों के लिए जहां ऐसा धारणाधिकार विद्यमान है और धारा 29 की उपधारा (1) में उपबंधित रीति में उसका परिरक्षण किया गया है, और सीमाशुल्क से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन शास्ति या जुर्माने से भिन्न रूप में केन्द्रीय सरकार को संदेय धनराशियां है, पूर्विकता होगी।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट धारणाधिकार, बोर्ड द्वारा नियुक्त किसी रियायतग्राही में भी निहित होगा, जिसके साथ पत्तन सीमाओं के भीतर किसी बर्थ या टर्मिनल को प्रचालित करने के लिए पब्लिक प्राइवेट भागीदारी के अधीन उक्त बोर्ड द्वारा कोई रियायत संविदा की गई है।

29. पोत के स्वामी का मालभाड़े और अन्य प्रभारों के लिए धारणाधिकार—(1) यदि किसी जलयान का मास्टर या स्वामी या उसका अभिकर्ता महापत्तन बोर्ड के या उसके अधिभोगाधीन किसी पत्तन आस्ति पर ऐसे किसी जलयान से या किसी माल को उतारने से पूर्व ऐसे बोर्ड को लिखित में सूचना देता है कि ऐसे माल पोत के स्वामी को संदेय मालभाड़े या अन्य प्रभारों के लिए उतनी रकम के लिए जितनी ऐसी सूचना में उल्लिखित की जाए धारणाधिकार के अधीन रहते हैं तो ऐसे माल उतनी रकम तक ऐसे धारणाधिकार के लिए दायी बने रहेंगे।

(2) माल के स्वामियों के जोखिम और व्यय पर कोई माल बोर्ड के अभिहित भंडार या गोदाम या भांडागार स्टेशनों पर बोर्ड की अभिरक्षा में तब तक रहेंगे जब तक ऐसे धारणाधिकार का उन्मोचन नहीं कर दिया जाता है तथा गोदाम या भंडारकरण भाटक का ऐसे माल के लिए, उस समय के लिए जिसके दौरान उन्हें इस प्रकार रखा गया है, हकदार पक्षकार द्वारा संदाय किया जाएगा।

(3) बोर्ड द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अधिकारी के समक्ष, किसी ऐसे व्यक्ति जिसके द्वारा या जिसकी ओर से ऐसी सूचना दी गई है, द्वारा निष्पादित ऐसे धारणाधिकार की रकम के लिए कोई रसीद या उससे निर्मुक्ति के लिए तात्पर्यित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर, बोर्ड ऐसे माल को ऐसे धारणाधिकार को ध्यान में न लेते हुए हटाए जाने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा, परंतु बोर्ड द्वारा ऐसे दस्तावेज की अधिप्रमाणिकता के संबंध में युक्तियुक्त सावधानी बरती गई हो।

30. माल विक्रय और कतिपय मामलों में विक्रय आगत का उपयोग—(1) बोर्ड, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 48 में यथा अनुबंधित ऐसे समय के अवसान के पश्चात् और ऐसी रीति में ऐसे किसी माल का विक्रय कर सकेगा, जो बोर्ड की अभिरक्षा में उसकी उतराई पर आ गए हैं या रखे गए हैं—

(क) यदि ऐसे मालों के संबंध में, बोर्ड को संदेय किन्हीं दरों का संदाय नहीं किया गया है ; या

(ख) यदि बोर्ड को किसी स्थान के संबंध में, संदेय किसी भाटक का या जिस पर या जिसमें ऐसे माल का भंडारण किया गया है, के भाटक का संदाय नहीं किया गया है ; या

(ग) यदि मालभाड़े या अन्य प्रभारों के लिए किसी पोत का स्वामी या आधान मालभाड़ा स्टेशन या अंतर्देशीय आधान डिपो का कोई धारणाधिकार, जिसकी सूचना दी गई है, का उन्मोचन नहीं किया गया है और यदि मालभाड़े या अन्य प्रभारों के लिए दावा करने वाले व्यक्ति ने ऐसे विक्रय के लिए बोर्ड को आवेदन किया है ; या

(घ) यदि ऐसे मालों को, स्वामी या उनके लिए हकदार व्यक्ति ने, बोर्ड के परिसरों से नहीं हटाया है :

परंतु बोर्ड, किसी बर्थ या टर्मिनल का प्रचालन करने के लिए पब्लिक प्राइवेट भागीदारी परियोजना के अधीन उसके द्वारा नियुक्त किसी रियायतग्राही को पत्तन सीमाओं के भीतर ऐसे माल का विक्रय करने हेतु प्राधिकृत कर सकेगा :

परंतु यह और कि बोर्ड द्वारा ऐसा कोई प्राधिकार, ऐसे रियायतग्राही के साथ बोर्ड द्वारा किए गए रियायत करार के निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन होगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन माल के विक्रय के आगमों का उपयोग सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 150 में यथा उपबंधित रीति में किया जाएगा ।

(3) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी नियंत्रित मालों का विक्रय ऐसे समय पर और ऐसी रीति में किया जा सकेगा जो केन्द्रीय सरकार निदेश दें ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "नियंत्रित माल" पद से ऐसा माल अभिप्रेत है, जिसकी कीमत या निपटान तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विनियमित होता है ।

31. जलयानों के करस्थम् द्वारा दरों और प्रभारों की वसूली—(1) यदि ऐसे किसी जलयान के मास्टर का, जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन या उसके अनुसरण में बनाए गए किन्हीं विनियमों या किए गए आदेशों के अधीन कोई दर या शास्तियां संदेय हैं, मांग किए जाने पर उसका या उसके किसी भाग का संदाय करने से इंकार करता है या उपेक्षा करता है तो बोर्ड, स्वप्रेरणा से या पब्लिक प्राइवेट भागीदारी परियोजना के अधीन उसके द्वारा नियुक्त रियायतग्राही के अनुरोध पर, ऐसे जलयान और उसके नौकोपकरण, पोतसज्जा और फर्नीचर या उनके किसी भाग का करस्थम् कर सकेगा या गिरफ्तार कर सकेगा और उनको तब तक निरुद्ध रखेगा जब तक बोर्ड या ऐसे रियायतग्राही को इस प्रकार देय रकम का ऐसी और रकम के साथ, जो किसी कालावधि के दौरान जलयान करस्थम् या गिरफ्तारी के अधीन है, का संदाय नहीं कर दिया जाता है ।

(2) यदि उक्त दरों या शास्तियों या करस्थम् या गिरफ्तारी की लागत या उन्हें रखने का कोई भाग किसी ऐसे करस्थम् या गिरफ्तारी के पश्चात् अगले पन्द्रह दिन की अवधि के लिए असंदत्त रहता है तो बोर्ड, स्वप्रेरणा से या ऐसे रियायतग्राही के अनुरोध पर, इस प्रकार करस्थम् या निरुद्ध जलयान या अन्य वस्तु का विक्रय करा सकेगा और ऐसे विक्रय के आगतों से ऐसी दरों या शास्तियों और लागतों को चुकाएगा, जिसके अंतर्गत शेष असंदत्त विक्रय की लागत भी है, आधिक्य (यदि कोई हो) को ऐसे जलयान के स्वामी को मांग करने पर प्रदान कर दिया जाएगा ।

32. न्यायनिर्णायिक बोर्ड को आवेदन—बोर्ड की किसी कार्रवाई से व्यथित कोई व्यक्ति धारा 22 से धारा 31 (धारा 29 के सिवाय) अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, धारा 54 के अधीन गठित न्यायनिर्णायिक बोर्ड से ऐसे प्ररूप, रीति और ऐसी फीस का संदाय करने पर, जो विहित की जाए, आवेदन फाइल करके अनुरोध कर सकेगा ।

अध्याय 4

महापत्तन प्राधिकरणों बोर्डों की उधार लेने और प्रतिभूतियों के संबंध में शक्तियां

क. महापत्तन प्राधिकरणों के बोर्डों की वित्तीय शक्तियां

33. उधार लेने और प्रतिभूतियां देने की शक्ति—(1) बोर्ड, अपनी पूंजी व्यय और कार्यशील पूंजी की अपेक्षाओं के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित किसी से, किसी करेंसी या करेंसियों में ऋण ले सकेगा—

(क) भारत के भीतर स्थित अधिसूचित बैंक या वित्तीय संस्था से ; या

(ख) तत्समय प्रवृत्त विधियों के अनुपालन में भारत से बाहर किसी देश में स्थित वित्तीय संस्था से :

परंतु केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना, बोर्ड की पूंजी आरक्षितियों के पचास प्रतिशत के समतुल्य राशि से अनधिक का कोई उधार बोर्ड द्वारा नहीं लिया जाएगा ।

(2) बोर्ड द्वारा भारत के भीतर खुले बाजार से और भारत से बाहर किसी भी देश से पत्तन प्रतिभूतियों, जिनके अंतर्गत बोर्ड द्वारा जारी किए गए या जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार से अभिप्राप्त किए जाएं डिबेंचर, बंधपत्र और स्टॉक प्रमाणपत्र भी हैं, किंतु ये उन तक सीमित नहीं है, पर ऋण लिए जा सकेंगे :

परंतु भारत से बाहर निवासी किसी व्यक्ति से विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और मार्गदर्शक सिद्धांतों, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी विदेशी प्रत्यक्ष विनिधान नीति और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि का अनुपालन किए बिना कोई ऋण नहीं लिया जाएगा या कोई प्रतिभूति जारी नहीं की जाएगी ।

(3) किसी भी प्ररूप में किसी पत्तन प्रतिभूति का धारक उसके बदले में किसी पत्तन प्रतिभूति को ऐसे प्ररूप में, जो बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, ऐसे निबंधनों पर, जो बोर्ड समय-समय पर अवधारित करे, अभिप्राप्त कर सकेगा ।

(4) पत्तन प्रतिभूतियों द्वारा प्रतिभूत धन राशियों के संबंध में वाद लाने का अधिकार उसके धारकों द्वारा परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36) के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रयोक्तव्य होगा ।

(5) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह महापत्तन प्राधिकरण बोर्ड की शक्तियों पर स्थानीय प्राधिकरण उधार अधिनियम, 1914 (1914 का 9) के अधीन उधार लेने पर प्रभाव डालती है ।

(6) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड, अस्थायी ओवरड्राफ्ट या अन्यथा बोर्ड द्वारा उसकी आरक्षित निधियों में धृत प्रतिभूतियों को गिरवी करके या बोर्ड अपने बैंकों में उसकी नियत जमाओं की प्रतिभूति पर उधार ले सकेगा :

परंतु केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना, ऐसे अस्थायी ओवरड्राफ्ट या अन्य ऋण नहीं लिए जाएंगे, यदि किसी वर्ष में किसी भी समय, ऐसे ओवरड्राफ्टों या अन्य ऋणों की रकम बोर्ड की पचास प्रतिशत पूंजी आरक्षितियों के समतुल्य राशि से अधिक हो जाती है :

परंतु यह और कि इस प्रकार अस्थायी ओवरड्राफ्ट या अन्यथा उधार ली गई सभी धनराशियों को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए व्यय किया जाएगा ।

34. पृष्ठांकनों का स्वयं प्रतिभूति पर किया जाना—परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) की धारा 15 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी पत्तन प्रतिभूति पर किया गया कोई ऐसा पृष्ठांकन, जो पृष्ठांकन द्वारा अंतरणीय है, तब तक विधिमान्य नहीं होगा, जब तक कि उसे प्रतिभूति के पीछे ही अंतरलिखित धारक के हस्ताक्षर द्वारा निष्पादित न किया गया हो ।

35. प्रतिभूति का पृष्ठांकनकर्ता का उसकी रकम के लिए उत्तरदायी न होना—परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति केवल इस कारण से कि उसने किसी पत्तन प्रतिभूति को पृष्ठांकित किया है, उसके अधीन या तो मूलधन या ब्याज के रूप में शोध्य किसी भी धन राशि का संदाय करने के लिए दायी नहीं होगा ।

36. कतिपय मामलों में पत्तन प्रतिभूतियों के धारक के रूप में मान्यता और उसके विधिक प्रभाव—(1) ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसे बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों के अधीन कोई दूसरी प्रति या नई प्रतिभूति जारी की गई है, उसके बारे में उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि उसे बोर्ड ने प्रतिभूति के धारक के रूप में मान्यता प्रदान की है; और इस प्रकार किसी व्यक्ति को जारी प्रतिभूति की दूसरी प्रति या किसी नई प्रतिभूति के बारे में यह समझा जाएगा कि उससे बोर्ड और ऐसे व्यक्ति तथा उसके माध्यम से उसके तत्पश्चात् हक प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों के बीच एक नई संविदा गठित हो गई है ।

(2) बोर्ड द्वारा किसी पत्तन प्रतिभूति के धारक के रूप में किसी व्यक्ति को प्रदान की गई किसी मान्यता को वहां तक किसी भी न्यायालय द्वारा प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, जहां तक वह ऐसी मान्यता पत्तन प्रतिभूति के धारक के रूप में उसके द्वारा मान्यता प्राप्त व्यक्ति या ऐसी प्रतिभूति में किसी हित का दावा करने वाले किसी व्यक्ति के साथ बोर्ड के संबंधों को प्रभावित करती है ; और बोर्ड द्वारा किसी व्यक्ति को प्रदान की गई ऐसी मान्यता उस व्यक्ति को, प्रतिभूति के साधिकार स्वामी के लेखे विद्यमान और ऐसे प्राप्त धन के लिए और उस स्वामी के प्रति व्यय व्यक्तिगत दायित्व के अधीन रहते हुए प्रतिभूति या प्रतिभूतियों के लिए हक प्रदान करने के लिए प्रभावी होंगे ।

37. कतिपय मामलों में उन्मोचन—परिसीमा अधिनियम, 1963 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी—

(क) किसी पत्तन प्रतिभूति के संबंध में शोध्य रकम का, उस तारीख को या उसके पश्चात्, जिसको उसका संदाय शोध्य हो जाता है, संदाय किए जाने पर ; या

(ख) जब धारा 36 की उपधारा (1) के अधीन बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों के अधीन कोई प्रतिभूति की दूसरी प्रति जारी की गई है ; या

(ग) जब बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों के अधीन संपरिवर्तन, समेकन या उप-विभाजन होने पर कोई नई प्रतिभूति जारी की गई है,

तब बोर्ड निम्नलिखित दशाओं में इस प्रकार संदत्त प्रतिभूति या ऐसी प्रतिभूति जिनके बदले में कोई दूसरी प्रति या नई प्रतिभूति जारी की गई है, के संबंध में अपने सभी दायित्वों से उन्मोचित हो जाएगा—

(i) उस तारीख से, जिसको संदाय शोध्य हो गया था, छह वर्ष बीत जाने के पश्चात् संदाय किए जाने की दशा में ;

(ii) प्रतिभूति की दूसरी प्रति की दशा में, उसके जारी किए जाने की तारीख से या मूल प्रतिभूति पर ब्याज का अंतिम बार संदाय किए जाने की तारीख से, इनमें से जो भी बाद की तारीख हो, छह वर्ष बीत जाने के पश्चात् ;

(iii) संपरिवर्तन, समेकन या उप-प्रभाजन होने पर नई प्रतिभूति जारी किए जाने की दशा में, उसके जारी किए जाने की तारीख से, छह वर्ष बीत जाने के पश्चात् ।

38. महापत्तन प्राधिकरणों के बोर्डों द्वारा ली गई उधारों के लिए प्रतिभूति— यदि किसी महापत्तन बोर्ड द्वारा कोई उधार लिया जाता है और ऐसे उधार को प्राप्त करने के लिए पत्तन प्रतिभूति से भिन्न कोई प्रतिभूति दी जानी अपेक्षित है तो वह महापत्तन बोर्ड निम्नलिखित के प्रति ऐसा उधार प्राप्त कर सकेगा—

(क) निम्नलिखित से भिन्न पत्तन आस्तियां—

(i) बोर्ड द्वारा निम्नलिखित के लिए अलग से रखी गई कोई राशि—

(अ) जिसे किसी उधार के संदाय करने के प्रयोजन के लिए निक्षेप निधि के रूप में रखा गया है ; या

(आ) जिसे उसके कर्मचारियों की पेंशन के संदाय के लिए रखा गया है ; या

(ii) बोर्ड द्वारा स्थापित कोई भविष्य या पेंशन निधि ; और

(ख) बोर्ड की पत्तन आस्तियों और सेवाओं से आय ।

39. देय तारीख से पूर्व सरकार को उधारों के प्रतिसंदाय करने की बोर्ड की शक्ति— बोर्ड ऐसी राशियों में से, जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उसके हाथ में आए और जिनका उपयोजन पत्तन प्रतिभूतियों के अन्य धारकों की प्रतिभूति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया जा सकता है, ऐसी राशियों का उपयोजन सरकार को प्रतिसंदाय करने में कर सकेगा, जो किसी उधार के मूल खाते के संबंध में उस को देय रहती है, हालांकि उसके प्रतिसंदाय के लिए नियत समय पूरा नहीं हुआ है ।

40. निक्षेप निधि की स्थापना और उपयोजन—(1) इस अधिनियम के अधीन महापत्तन प्राधिकरणों से संबद्ध बोर्ड द्वारा लिए गए ऐसे उधारों के संबंध में, जो ऐसे उधारों की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति से पूर्व प्रतिसंदेय नहीं हैं, ऐसा बोर्ड अपनी आय में से कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए ऐसे उधारों को चुकाने या उनके परिनिर्धारण के लिए पर्याप्त निक्षेप निधि या निधियों को अलग रखेंगे ।

(2) इस अधिनियम के आरंभ से पूर्व, यदि कोई निक्षेप निधि महापत्तन अधिनियम, 1963 (1963 का 38) के अधीन गठित किसी न्यास बोर्ड द्वारा उसके द्वारा लिए गए किसी ऐसे उधार के संबंध में जिसके लिए बोर्ड इस अधिनियम के अधीन दायी है, किसी निक्षेप निधि की स्थापना की गई थी और न्यास बोर्ड द्वारा इस प्रकार स्थापित निक्षेप निधि को इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा स्थापित किया गया समझा जाएगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन बोर्ड द्वारा इस प्रकार अलग रखी गई राशियों और उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी निक्षेप निधि का भाग रूप होने वाली किन्हीं राशियों का उपयोजन ऐसी रीति में किया जाएगा, जो विहित की जाए ।

(4) बोर्ड, किसी निक्षेप निधि में संचित सम्पूर्ण राशियों या उनके किसी भाग का उपयोजन किसी निक्षेप निधि में ऐसे उधार लिए गए धन के उन्मोचन में या उनके मद्दे कर सकेगा, जिनके प्रतिसंदाय के लिए निधि की स्थापना की गई है :

परंतु बोर्ड, प्रत्येक वर्ष निधि में ब्याज के समतुल्य ऐसी राशि का संदाय करता है और उसका संचय तब तक करता है जब तक उधार लिए गए सम्पूर्ण धनों का उन्मोचन नहीं हो जाता जो निक्षेप निधि या इस प्रकार उपयोजित की गई निक्षेप निधि के भाग द्वारा उत्पन्न हुई होती ।

41. विद्यमान उधारों और प्रतिभूतियों का जारी रहना—इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व किसी महापत्तन के संबंध में लिए गए या उधार लिए गए सभी उधार और जारी या गिरवी रखी गई सभी प्रतिभूतियां महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) के उपबंधों के अनुसार शासित होती रहेंगी ।

ख. महापत्तन प्राधिकरणों के साधारण खाते

42. बोर्ड के साधारण खाते— इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन बोर्ड द्वारा या उसके निमित्त प्राप्त सभी धनों को बोर्ड के ऐसे साधारण खाते या खातों में जमा किया जाएगा, जिन्हें बोर्ड समय-समय पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या किसी अनुसूचित बैंक में साधारण रूप से खोले जाएं ।

43. साधारण खातों में धन का उपयोजन— (1) धारा 42 के अधीन साधारण खाते या खातों में जमा किए गए धनों का उपयोजन बोर्ड द्वारा निम्नलिखित प्रभारों का संदाय करने पर किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) निम्नलिखित को शोध्य वेतन, फीस, भत्ते, पेंशन, उपदान, अनुकंपा भत्ते या अन्य धनों के—

(i) धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (घ), खंड (ङ) और खंड (च) के अधीन नियुक्त सदस्यों के सिवाय बोर्ड के सदस्यों ;

(ii) बोर्ड के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों ; और

(iii) ऐसे कर्मचारियों के उत्तरजीवी नातेदार, यदि कोई हो ;

(ख) बोर्ड द्वारा स्थापित किसी भविष्य निधि या कल्याण निधि या उधार या विशेष निधि के संचालन और प्रशासन के लिए बोर्ड द्वारा उपगत खर्चे और व्यय, यदि कोई हो ;

(ग) बोर्ड और डॉक, भांडागारों और अन्य पत्तन आस्तियों के रखरखाव, विकास, सुरक्षा और संरक्षा के लिए ;

(घ) बोर्ड की या उसमें निहित सम्पत्ति की मरम्मतों और अनुरक्षण की लागत और उनके संबंध में सभी प्रभार तथा सभी कार्यकरण व्यय ;

(ङ) धारा 25 और धारा 26 के अधीन उपबंधित प्रयोजनों के लिए बोर्ड द्वारा किए गए या उपगत खर्चे, व्यय, राशियां, संदाय और अभिदाय ; और

(च) ऐसा कोई अन्य प्रभार या व्यय, जिसके लिए बोर्ड विधिक रूप से दायी हो ।

(2) बोर्ड के खाते में जमा सभी धनों का, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट रीति में या उसके प्रयोजनों के लिए तुरंत उपयोग नहीं किया जा सकता है अपितु उनका उपयोग ऐसे विधिपूर्ण प्रयोजनों के लिए किया जा सकेगा, जैसा बोर्ड समय-समय पर विनिश्चय करे ।

(3) धारा 42 और इस धारा की उपधारा (1) और (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त ऐसे धनों को, जो गैर-पत्तन संबंधी उपयोग हेतु प्राप्त हुए हैं, सिवाय उनके जो धारा 70 के अंतर्गत आते हैं, एक अभिहित खाते में जमा किया जाएगा और बोर्ड द्वारा उनका उपयोजन पूंजी निवेश के लिए या ऐसे प्रयोजनों के लिए किया जाएगा, जो विहित किए जाएं ।

ग. लेखा और संपरीक्षा

44. लेखा और संपरीक्षा— (1) बोर्ड ऐसे प्ररूप में, अपना बजट तैयार करेगा, समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख बनाए रखेगा तथा तुलन-पत्र सहित लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार करेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से, विहित किया जाए ।

(2) बोर्ड के लेखाओं की संपरीक्षा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा जो उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किया जाए, की जाएगी और बोर्ड द्वारा ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उसे संदेय किसी रकम को बोर्ड के साधारण खाते में से विकलित किया जाएगा ।

(3) नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और इस अधिनियम के अधीन बोर्ड के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के पास ऐसी संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे, जो साधारण रूप से नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पास सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में होते हैं और उसके पास विशिष्ट रूप से बहियों, खातों, संबद्ध वाउचरों और अन्य दस्तावेजों तथा पत्रों को पेश किए जाने की मांग करने और प्राधिकरण के कार्यालयों में से किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(4) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा जो उनके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किया जाए, यथाप्रमाणित, बोर्ड के लेखाओं को उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक रूप से बोर्ड द्वारा केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित किया जाएगा और केन्द्रीय सरकार, उसे प्राप्त करने के पश्चात्, यथाशीघ्र संसद् के दोनों सदनों के समक्ष उन्हें रखवाएगी ।

अध्याय 5

केन्द्रीय सरकार का पर्यवेक्षण

45. प्रशासन रिपोर्ट— प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल के पश्चात्, यथाशीघ्र और केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रकार नियत की जाने वाली तारीख से पूर्व बोर्ड, केन्द्रीय सरकार को 31 मार्च को समाप्त होने वाले पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान बोर्ड के प्रशासन की एक विस्तृत रिपोर्ट ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा, जैसा कि केन्द्रीय सरकार निदेश दे ।

46. बोर्ड के कार्यों का सर्वेक्षण या परीक्षण करने का आदेश करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति— केन्द्रीय सरकार, किसी भी समय, बोर्ड के किसी भी कार्य का या उसके आशयित स्थल का किसी स्थानीय सर्वेक्षण या परीक्षण करने का आदेश दे सकेगा और ऐसे सर्वेक्षण तथा परीक्षण की लागत का वहन और संदाय बोर्ड द्वारा उसके साधारण खाते में जमा धनों में से किया जाएगा ।

47. बोर्ड के खर्चों पर कार्यों का प्रत्यावर्तन करने या उन्हें पूरा करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति— (1) यदि केन्द्रीय सरकार की किसी भी समय यह राय है कि किसी बोर्ड द्वारा उपधारा (2) में उल्लिखित किसी मरम्मत कार्य, किसी कार्य को पूरा करने, उसका

प्रत्यावर्तन करने, क्रियान्वित करने या किसी संकर्म या साधित्र को उपलब्ध कराने के संबंध में कोई कार्रवाई न किए जाने के कारण कोई गंभीर आपात स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो केन्द्रीय सरकार ऐसे संकर्म को प्रत्यावर्तित या उसे पूरा या क्रियान्वित करा सकेगी या ऐसी मरम्मत करा सकेगी या ऐसे साधित्र का उपबंध कर सकेगी और ऐसे प्रत्यावर्तन, कार्य को पूरा करने, संनिर्माण, मरम्मत या व्यवस्था का खर्च का संदाय संबद्ध बोर्ड द्वारा पत्तन के साधारण खाते में जमा धन में से किया जाएगा ।

(2) निम्नलिखित कार्यों या लोपों के बारे में, यह समझा जाएगा कि उनके परिणामस्वरूप उपधारा (1) के अधीन गंभीर आपात स्थिति उत्पन्न हुई है, यदि कोई बोर्ड,—

(क) बेमरम्मती होने पर उसके द्वारा संनिर्मित या उपबंधित या उसमें निहित किसी कार्य या साधित्र की अनुमति देता है ; या

(ख) किसी युक्तियुक्त समय के भीतर, बोर्ड द्वारा प्रारंभ किए गए या केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर किए गए किसी प्राक्कलन में सम्मिलित किसी कार्य को पूरा नहीं करता है ; या

(ग) लिखित में सम्यक् सूचना दिए जाने के पश्चात्, किसी ऐसे कार्य या मरम्मत को प्रभावी रूप से करने के लिए या किसी ऐसे साधित्र का उपबंध करने के लिए, जो केन्द्रीय सरकार की राय में इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक है, अग्रसर नही होता ।

48. केन्द्रीय सरकार की बोर्ड के प्रबंध को ग्रहण करने की शक्ति— (1) यदि किसी भी समय, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि—

(क) कोई बोर्ड, इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के द्वारा या उनके अधीन उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है ; या

(ख) किसी बोर्ड ने इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के द्वारा या उनके अधीन उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का अनुपालन करने में निरंतर व्यतिक्रम किया है और ऐसे व्यतिक्रम के परिणामस्वरूप, उस बोर्ड की वित्तीय स्थिति या प्रशासन का अत्यधिक क्षय हुआ है तो,

केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसी अवधि के लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, जो एक बार में बारह मास से अधिक नहीं होगी, बोर्ड के प्रबंध को ग्रहण कर सकेगी :

परंतु केन्द्रीय सरकार, खंड (ख) में उल्लिखित कारणों से इस उपधारा के अधीन कोई अधिसूचना जारी करने के पूर्व, बोर्ड को एक युक्तियुक्त समय प्रदान करेगी, जो तीन मास से कम नहीं होगा, कि कारण बताएं कि क्यों न उसके प्रबंध को ग्रहण कर लिया जाए और बोर्ड के स्पष्टीकरणों तथा आक्षेपों, यदि कोई हों, पर विचार करेगी ।

(2) बोर्ड के प्रबंध को ग्रहण करने के लिए उपधारा (1) के अधीन किसी अधिसूचना के प्रकाशन पर,—

(क) बोर्ड के सभी सदस्य, प्रबंध ग्रहण करने की तारीख से, बोर्ड में अपने-अपने पदों या अपनी हैसियत से हट जाएंगे ;

(ख) बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के द्वारा या उनके अधीन प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियों या पालन किए जाने वाले सभी कर्तव्यों का प्रयोग और निर्वहन ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जैसा केन्द्रीय सरकार इस निमित्त निर्दिष्ट करे तब तक किया जाएगा, जब तक कि उपधारा (3) के खंड (ख) के अधीन बोर्ड का पुनर्गठन नहीं कर दिया जाता है ;

(ग) उपधारा (3) के खंड (ख) के अधीन बोर्ड में निहित सभी संपत्ति केन्द्रीय सरकार में तब तक निहित होंगी जब तक बोर्ड का पुनर्गठन नहीं कर दिया जाता है ।

(3) उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट ग्रहण की अवधि के अवसान पर या ऐसे अवसान से पूर्व किसी भी समय, केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा–

(क) बोर्ड के प्रबंध को ग्रहण करने की अवधि को ऐसी और अवधि के लिए, जिसे वह आवश्यक समझे, किंतु जो बारह मास से अधिक नहीं होगी, विस्तारित कर सकेगी ; या

(ख) बोर्ड के सभी पदों पर ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जिन्हें केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझे, नई नियुक्तियां करके बोर्ड का पुनर्गठन कर सकेगी और उस दशा में, ऐसा कोई व्यक्ति जिसे उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन उनके पदों से हटा दिया गया है, नियुक्ति के लिए निरर्हित समझा जाएगा ।

49. रिपोर्ट का रखा जाना— धारा 47 और धारा 48 के अधीन की किसी कार्रवाई या कार्रवाइयों और धारा 48 के अधीन जारी किसी अधिसूचना के लिए केन्द्रीय सरकार ऐसी किसी कार्रवाई या कार्रवाइयों और अधिसूचना तथा ऐसी किसी कार्रवाई को करने की परिस्थितियों की पूर्ण रिपोर्ट तैयार करेगी और उसे संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी ।

50. पत्तन आस्तियों का उपयोग करने की बाध्यता से छूट देने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति— इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्र की सुरक्षा के हित में या किसी गंभीर आपात स्थिति के कारण, समय-समय पर साधारण या विशेष आदेश द्वारा कतिपय विनिर्दिष्ट जलयानों या जलयानों के वर्गों को मालों या कतिपय विनिर्दिष्ट मालों या मालों के किन्हीं वर्गों को, महापत्तन में ऐसे स्थान पर या महापत्तन पहुंच मार्गों के भीतर ऐसी रीति में, ऐसा महापत्तन या महापत्तन के पहुंच मार्गों के संबंध में संबद्ध बोर्ड को ऐसी अवधि के दौरान और ऐसे संदायों के अधीन रहते हुए और ऐसी शर्तों पर, जिन्हें केन्द्रीय सरकार उचित समझे, निर्वहन करने की अनुज्ञा दे सकेगी ।

51. बोर्ड द्वारा केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के बिना उसकी आस्तियों, संपत्तियों, अधिकारों, शक्तियों और प्राधिकारों का विक्रय, अन्य संक्रामण या निर्निहित न किया जाना— बोर्ड, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना, इस अधिनियम के अधीन इसमें निहित आस्तियों, संपत्तियों, अधिकारों, शक्तियों और प्राधिकारों का विक्रय, अन्यसंक्रामण या उन्हें निर्निहित नहीं करेगा ।

52. बोर्ड को दिए गए उधारों के संबंध में सरकार के उपचार— (1) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के पास, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से, उसके द्वारा बोर्ड या किसी अन्य प्राधिकरण को दिए गए ऐसे उधारों के संबंध में, जिनका प्रतिदाय करने के लिए बोर्ड, ऐसे प्रारंभ पर विधिक रूप से दायी है, वही उपचार और पूर्विकता होंगी, जो महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) के अधीन लागू है, मानो यह अधिनियम पारित ही न किया गया हो ।

(2) केन्द्रीय या राज्य सरकारों द्वारा दिए गए भावी उधारों या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा दिए गए उधारों के लिए वही उपचार होंगे, जो बोर्ड द्वारा जारी पत्तन प्रतिभूतियों के धारकों को उपलब्ध हैं, जब तक कि बोर्ड द्वारा संबद्ध उधार करारों के भीतर ऐसे उधारों के संबंध में पूर्विकता या वृहत् अधिकार मंजूर न कर दिए जाएं ।

53. केन्द्रीय सरकार की निदेश जारी करने की शक्ति— (1) इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन करने में नीति के प्रश्न संबंधी ऐसे निदेशों से आबद्धकर होगा, जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर लिखित में जारी करे :

परंतु इस उपधारा के अधीन कोई निदेश दिए जाने से पूर्व, बोर्ड को अपने विचार अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान किया जाएगा ।

(2) केन्द्रीय सरकार का यह विनिश्चय कि क्या कोई प्रश्न नीति का है या नहीं, अंतिम होगा और बोर्ड पर आबद्धकर होगा ।

अध्याय 6

न्यायनिर्णायक बोर्ड का गठन

54. न्यायनिर्णायक बोर्ड का गठन— (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसी तारीख से, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन ऐसे न्यायनिर्णायक बोर्ड को प्रदत्त अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करने के लिए न्यायनिर्णायक बोर्ड के नाम से ज्ञात बोर्ड का गठन करेगी :

परंतु न्यायनिर्णायक बोर्ड का गठन होने तक, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 47 क के अधीन गठित महापत्तन टैरिफ प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन न्यायनिर्णायक बोर्ड के कृत्यों का निर्वहन करेगा और इस अधिनियम के अधीन न्यायनिर्णायक बोर्ड के गठन के ठीक पश्चात् विद्यमान नहीं रहेगा :

परंतु यह और कि न्यायनिर्णायक बोर्ड के गठन पर और गठन की तारीख से ही—

(क) महापत्तन टैरिफ प्राधिकरण की सभी आस्तियां और दायित्व न्यायनिर्णायक बोर्ड को अंतरित हो जाएंगी और उसमें निहित हो जाएगी ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, महापत्तन टैरिफ प्राधिकरण की आस्तियों में के बारे में यह समझा जाएगा कि उनमें सभी अधिकार और शक्तियां, सभी संपत्तियां, चाहे वे जंगम या स्थावर हो सम्मिलित हैं और जिनके अंतर्गत विशिष्टतः नकद शेष, जमा और उसमें या उससे उद्‌भूत सभी अन्य हित और अधिकार, ऐसी संपत्तियां, जो महापत्तन टैरिफ प्राधिकरण के कब्जे में हैं और सभी लेखाबहियां तथा उनसे संबंधित अन्य दस्तावेज सम्मिलित है और दायित्वों में सभी ऋणों, देनदारियों और बाध्यताओं, चाहे किसी भी प्रकार की हों, को सम्मिलित माना जाएगा ;

(ख) खंड (क) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सभी उपगत ऋण, बाध्यताएं और दायित्व, उस तारीख से पूर्व महापत्तन टैरिफ प्राधिकरण द्वारा उसके साथ की गई सभी संविदाओं और उसके साथ या उसके लिए रखे गए सभी विषय और वस्तुएं, उक्त महापत्तन टैरिफ प्राधिकरण के प्रयोजन के लिए या उसके संबंध में न्यायनिर्णायक बोर्ड द्वारा किया गया या उसके साथ या उसके लिए उपगत, किया गया या रखा गया समझा जाएगा ;

(ग) उस तारीख से ठीक पूर्व महापत्तन टैरिफ प्राधिकरण को देय सभी धनराशियां न्यायनिर्णायक बोर्ड को देय समझी जाएंगी ;

(घ) उस तारीख से ठीक पूर्व महापत्तन टैरिफ प्राधिकरण द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित किए गए या संस्थित किए जा सकने वाले सभी वाद और अन्य विधिक कार्यवाहियों को जारी रखा जा सकेगा या उनको न्यायनिर्णायक बोर्ड द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित किया जा सकेगा ;

(ङ) उस तारीख से ठीक पूर्व महापत्तन टैरिफ प्राधिकरण के अधीन सेवा करने वाला प्रत्येक कर्मचारी, न्यायनिर्णायक बोर्ड का कर्मचारी बन जाएगा और वह उसमें अपना पद या सेवा उसी अवधि तक और महापत्तन टैरिफ प्राधिकरण के साथ सेवा के उन्हीं निबंधनों और शर्तों में किसी परिवर्तन या उल्पीकरण के बिना धारण करेगा :

परंतु ऐसे किसी कर्मचारी की पदावधि, पारिश्रमिक और सेवा के निबंधन और शर्तों में केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना उसके लिए अलाभप्रद परिवर्तन नहीं किया जाएगा ;

(च) प्रत्येक व्यक्ति, जो ऐसी तारीख से ठीक पूर्व महापत्तन टैरिफ प्राधिकरण से कोई सेवानिवृत्ति फायदा प्राप्त कर रहा था, वह न्यायनिर्णायक बोर्ड से ऐसा फायदा प्राप्त करता रहेगा :

परंतु ऐसे व्यक्ति के सेवानिवृत्ति फायदें में न्यायनिर्णायक बोर्ड द्वारा केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना उसके प्रति अलाभकारी कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

(2) न्यायनिर्णायक बोर्ड का प्रधान कार्यालय ऐसे स्थान पर होगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए :

परंतु न्यायनिर्णायक बोर्ड ऐसे अन्य स्थानों पर अपनी बैठक कर सकेगा, जैसा कि पीठासीन अधिकारी द्वारा, उसे निर्दिष्ट विवादों का विनिश्चय करने के लिए सुविधा को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर विनिश्चय किया जाए ।

55. न्यायनिर्णायक बोर्ड की संरचना—न्यायनिर्णायक बोर्ड, पीठासीन अधिकारी और दो अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएं ।

56. न्यायनिर्णायक बोर्ड के पीठासीन अधिकारी और सदस्यों की अर्हताएं, सेवा की निबंधन और शर्तें—(1) कोई व्यक्ति, न्यायनिर्णायक बोर्ड के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह भारत के उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति न रहा हो ।

(2) कोई व्यक्ति, न्यायनिर्णायक बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक कि—

(क) वह किसी राज्य सरकार का सेवानिवृत्त मुख्य सचिव या उसके समतुल्य न हो ; या

(ख) भारत सरकार का सेवानिवृत्त सचिव या उसके समतुल्य न हो,

और वित्त, वाणिज्य, प्रशासन, समुद्री, पोत परिवहन के क्षेत्र में या पत्तन से संबंधी मामलों में कम से कम बीस वर्ष का अनुभव न हो ।

(3) न्यायनिर्णायक बोर्ड के पीठासीन अधिकारी और सदस्य, केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उसके नाम निर्देशिती, पोत परिवहन से संबंधित विभाग के सचिव और ऐसे अन्य व्यक्तियों से मिलकर बनी चयन समिति की सिफारिश पर और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, नियुक्त किए जाएंगे ।

(4) न्यायनिर्णायक बोर्ड के पीठासीन अधिकारी और सदस्य, उस तारीख से, जिसको वे अपना पद ग्रहण करते हैं, पांच वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, अपना पद धारण करेंगे ।

(5) न्यायनिर्णायक बोर्ड के पीठासीन अधिकारी और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें, वे होंगी, जो विहित की जाएं :

परंतु न्यायनिर्णायक बोर्ड के पीठासीन अधिकारी और सदस्यों के वेतन और भत्तों और उनकी सेवा के निबंधनों और शर्तों में, उनकी नियुक्ति के पश्चात् अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

57. न्यायनिर्णायक बोर्ड के पीठासीन अधिकारी और सदस्यों का हटाया जाना और निलंबित किया जाना—(1) केन्द्रीय सरकार, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उसके नामनिर्देशिती के साथ परामर्श करके पीठासीन अधिकारी को पद से हटा सकेगी,—

(क) जिसे दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है ; या

(ख) जो शारीरिक या मानसिक रुप से ऐसे पीठासीन अधिकारी या सदस्य के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो गया है; या

(ग) जिसे किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में, नैतिक अधमता अंतर्वलित है ; या

(घ) जिसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है जिससे पीठासीन अधिकारी या सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ; या

(ङ) जिसने अपनी स्थिति का ऐसा दुरुपयोग किया है जिससे उसके पद पर बने रहने से लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पीठासीन अधिकारी को उसके पद से, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उसके नामनिर्देशिती द्वारा, उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए निर्देश पर की गई ऐसी जांच के पश्चात्, जिसमें ऐसे पीठासीन अधिकारी को उसके विरुद्ध आरोपों की सूचना दी गई है और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया गया है, साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए आदेश के सिवाय, उसके पद से नहीं हटाया जाएगा ।

(3) केन्द्रीय सरकार, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, पीठासीन अधिकारी को, जिसके संबंध में उपधारा (2) के अधीन भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को निर्देश किया गया है, जब तक कि केन्द्रीय सरकार ऐसे निर्देश पर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर आदेश पारित नहीं करती है तब तक पद से निलंबित कर सकेगी ।

(4) केन्द्रीय सरकार, उच्चतम न्यायालय के परामर्श के पश्चात्, उपधारा (2) में निर्दिष्ट साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर जांच की प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाएगी ।

(5) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, न्यायनिर्णायक बोर्ड के किसी सदस्य को, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि सदस्य को उपधारा (1) में निर्दिष्ट किन्हीं ऐसे आधारों पर हटाया जाना चाहिए, साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए आदेश के सिवाय, उसके पद से नहीं हटाया जाएगा ।

(6) केन्द्रीय सरकार, न्यायनिर्णायक बोर्ड के किसी सदस्य को, जिसके संबंध में उपधारा (5) के अधीन कोई जांच की जा रही है या लंबित है कि केन्द्रीय सरकार, जांच की रिपोर्ट प्राप्त होने पर कोई आदेश पारित नहीं करती है, तब तक निलंबित कर सकेगी ।

58. न्यायनिर्णायक बोर्ड की शक्तियां और कृत्य—(1) धारा 54 में निर्दिष्ट न्यायनिर्णायक बोर्ड, टैरिफ सैटिंग से भिन्न निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा—

(क) टैरिफ मार्गदर्शक सिद्धांत, 2005, 2008, 2013, 2018 और 2019 तथा उक्त प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए टैरिफ आदेशों से उद्‌भूत तत्कालीन महापत्तन टैरिफ प्राधिकरण द्वारा किए जाने के लिए परिकल्पित कृत्य ;

(ख) महापत्तन और पब्लिक प्राइवेट भागीदारी रियायतग्राही या उनके रियायती करारों के ढांचे के भीतर समर्पित बर्थ के लिए आबद्ध उपयोक्ताओं के अधिकारों और दायित्वों से संबंधित किसी विवाद या मतभेदों या दावों के निर्देश को प्राप्त करना और उनका न्यायनिर्णयन करना तथा विवाद में अंतर्वलित सभी पक्षकारों पर विचार करने के और उन्हें सुने जाने के पश्चात्, आदेश पारित करना ;

(ग) केन्द्रीय सरकार या बोर्ड द्वारा यथानिर्दिष्ट प्रतिबलित पब्लिक प्राइवेट भागीदारी परियोजनाओं को आंकना, उनका पुनर्विलोकन करना और ऐसी परियोजनाओं को पुनरुज्जीवित कराने के लिए उपाय सुझाना ;

(घ) महापत्तनों या महापत्तनों में काम करने वाले प्राइवेट प्रचालकों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं और सेवा की निबंधनों के प्रति पत्तन के उपयोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों की जांच-पड़ताल करना और संबद्ध पक्षकारों को सुने जाने के पश्चात् आवश्यक आदेश पारित करना ;

(ङ) महापत्तन के प्रचालनों से संबंधित किन्हीं अन्य मामलों की जांच करना, जो उसे केन्द्रीय सरकार या बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं और, यथास्थिति, आदेश पारित करना या सुझाव देना ।

(2) न्यायनिर्णायक बोर्ड द्वारा, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपने कृत्यों का निर्वहन करते समय अपनाए जाने वाली प्रक्रिया और साथ ही ऐसे बोर्ड के निधियन, लेखाओं और संपरीक्षा से संबंधित अन्य मामलें वे होंगे, जो विहित की जाए ।

(3) तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय, न्यायनिर्णायक बोर्ड के पास निम्नलिखित विषयों के संबंध में वही शक्तियां होंगी, जो किसी सिविल न्यायालय में किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन निहित होती हैं, अर्थात् :—

(क) ऐसे स्थान और ऐसे समय पर, जो न्यायनिर्णायक बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों का प्रकटीकरण और पेश किया जाना ;

(ख) व्यक्तियों को समन करना और उन्हें हाजिर कराना तथा शपथ पर उनकी परीक्षा करना ;

(ग) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना ; और

(घ) ऐसा कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए ।

(4) न्यायनिर्णायक बोर्ड के समक्ष किसी कार्यवाही को भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 193 और धारा 228 के अर्थान्तर्गत तथा धारा 196 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाही समझा जाएगा और न्यायनिर्णायक बोर्ड को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 195 और अध्याय 26 के सभी प्रयोजनों के लिए एक सिविल न्यायालय समझा जाएगा ।

59. किसी न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन— किसी न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन न्यायनिर्णयन बोर्ड की परिधि के भीतर आने वाले किसी मामले के संबंध में कार्यवाही करने के लिए किसी वाद को ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी :

परंतु इस धारा के उपबंध धारा 58 में कथित मामलों को लागू नहीं होंगे, जिन्हें संबद्ध पक्षकारों द्वारा उनके अपने-अपने करारों या रियायती करारों के ढांचे के भीतर माध्यस्थम् के लिए निर्दिष्ट किया है ।

60. पुनर्विलोकन और अपील— (1) इस अधिनियम के अधीन न्यायनिर्णायक बोर्ड के किसी विनिश्चय या आदेश से व्यथित कोई पक्षकार, जिससे उपधारा (2) के अधीन अपील अनुज्ञात की गई है किन्तु कोई अपील नहीं की गई है, न्यायनिर्णायक बोर्ड के समक्ष ऐसे विनिश्चय के पुनर्विलोकन के लिए ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाए, आवेदन कर सकेगा और उक्त बोर्ड उस पर ऐसा आदेश कर सकेगा, जो वह उचित समझे ।

(2) न्यायनिर्णायक बोर्ड के किसी विनिश्चय या आदेश से व्यथित कोई पक्षकार, उसको ऐसे विनिश्चय या आदेश की संसूचना की तारीख से साठ दिन के भीतर भारत के उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल कर सकेगा :

परंतु पक्षकारों की सहमति से न्यायनिर्णायक बोर्ड द्वारा पारित किसी विनिश्चय या आदेश से कोई अपील नहीं होगी :

परंतु यह और कि उच्चतम न्यायालय साठ दिन की समाप्ति के पश्चात्, कोई अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी पर्याप्त कारण से अपील करने से निवारित रहा था ।

61. न्यायनिर्णायक बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी— (1) न्यायनिर्णायक बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, अधिकारियों और ऐसे अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगा जो वह इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक समझे ।

(2) न्यायनिर्णायक बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य निबंधनें और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं ।

अध्याय 7

शास्तियां

62. अपराधों के दंड के लिए साधारण उपबंध—ऐसा कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के या तद्धीन बनाए गए किसी नियम, विनियम या किए गए किसी आदेश के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन करता है तो वह ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

63. कंपनियों द्वारा अपराध—(1) यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कंपनी है तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध किए जाने के समय कंपनी के कारबार संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक था और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, उस अपराध के लिए दोषी समझी जाएगी और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के लिए दायी होंगे :

परंतु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात, ऐसे किसी व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किए दंड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन किसी कंपनी द्वारा कोई अपराध किया गया है और यह साबित कर दिया जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी को भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और वह तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनों के लिए पद,—

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कोई फर्म या व्यष्टियों का कोई अन्य संगम भी है ; और

(ख) किसी फर्म के संबंध में "निदेशक" से फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

अध्याय 8

प्रकीर्ण

64. अपराधों का संज्ञान—किसी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्नतर कोई न्यायालय इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी नियम या विनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा ।

65. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण—बोर्ड या उसके किसी सदस्य या कर्मचारी या न्यायनिर्णायक बोर्ड या उसके पीठासीन अधिकारी या किसी सदस्य अथवा कर्मचारी के विरुद्ध, ऐसी किसी बात के संबंध में, जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी नियम या विनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई है या किए जाने के लिए आशयित है या सेवा में किसी कमी के लिए या सेवाओं में ऐसी कमी के कारण किन्हीं पारिणामिक हानियों के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी ।

66. बोर्ड या न्यायनिर्णायक बोर्ड के कर्मचारियों का लोक सेवक होना—इस अधिनियम के अधीन बोर्ड या न्यायनिर्णायक बोर्ड द्वारा नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा ।

67. अन्य विधियों का लागू होना वर्जित न होना—इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे न कि उनके अल्पीकरण में ।

68. बोर्ड के परिसरों से कतिपय व्यक्तियों को बेदखल करने की शक्ति—(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए या बोर्ड को उपलब्ध संविदात्मक उपचारों का अवलंब लेते हुए, बोर्ड के किसी कर्मचारी को किए गए किन्हीं परिसरों के आबंटन को रद्द कर सकेगा या बोर्ड के किसी कर्मचारी या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को, जो किसी पत्तन आस्ति या पत्तन की सीमाओं में किन्हीं परिसरों या क्षेत्र का अधिभोगी है, ऐसे आबंटिती या कर्मचारी या ऐसे अन्य व्यक्ति, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट या तैयार किए गए विनियमों के उल्लंघन में उसके अधिभोग में या कब्जे में है, को संबोधित करते हुए लिखित में सूचना द्वारा बेदखल कर सकेगा :

परंतु ऐसी किसी सूचना में आबंटन को रद्द करने या बेदखली या हटाए जाने साथ-साथ ऐसी अवधि, जिसके भीतर हटाया जाना या बेदखली ईप्सित है और बकायों की शोध्य राशियों की वसूली और ऐसे परिसरों के विस्तारित अप्राधिकृत उपयोग के कारणों को भी उपदर्शित किया जाएगा ।

(2) यदि कोई आबंटिती या कर्मचारी या अन्य व्यक्ति, उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी आदेश से व्यथित है तो उक्त आबंटिती या कर्मचारी या अन्य व्यक्ति आदेश के विरुद्ध बोर्ड द्वारा इस प्रकार नियुक्त प्रतिकर अधिकारी के समक्ष उपधारा (1) के अधीन आदेश की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर अपील कर सकेगा ।

(3) यदि कोई आबंटिती या कर्मचारी या अन्य व्यक्ति, उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी आदेश का पालन करने से इंकार करता है या उसका पालन करने में असफल रहता है तो कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से किए गए किसी आवेदन पर, किसी पुलिस अधिकारी को, समुचित सहायता के साथ, परिसरों में प्रवेश करने और परिसर से किसी व्यक्ति को बेदखल करने और उनका कब्जा प्राप्त करने तथा उसका बोर्ड या बोर्ड द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति को परिदान करने का आदेश कर सकेगा और ऐसा पुलिस अधिकारी, इस प्रयोजन के लिए, ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा, जो आवश्यक हो ।

(4) उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट ऐसी किसी सूचना की तामील निम्नलिखित के द्वारा की जा सकेगी,—

(क) आबंटिती या कर्मचारी या ऐसे अन्य व्यक्ति को, जो सम्पूर्ण परिसर या उसके किसी भाग का अधिभोगी हो या कब्जाधारी हो, परिदत्त या प्रस्तुत करके ; या

(ख) यदि उसे इस प्रकार परिदत्त या प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है तो उसे परिसरों के बाहरी द्वार पर या किसी अन्य सहजदृश्य भाग पर चिपका कर ; या

(ग) रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा ; या

(घ) उस क्षेत्र में परिचालित होने वाले किसी स्थानीय समाचार पत्र में उसका प्रकाशन करके ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "परिसर" पद से ऐसी कोई भूमि, भवन या भवन का कोई भाग अभिप्रेत है, जो पत्तन आस्तियों का भाग है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं—

(i) जलपान गृह, उद्यान, भूमि और उपभवन, यदि कोई हो, जैसे क्षेत्र जो ऐसे भवन या भवन के किसी भाग से संबद्ध हैं ;

(ii) ऐसे भवन या भवन के किसी भाग में लगी कोई फिटिंग, जो उसके और अधिक फायदाप्रद उपभोग के लिए हो ; और

(iii) कोई फर्नीचर, पुस्तकें या अन्य वस्तुएं, जो बोर्ड की हो और ऐसे भवन या भवन के किसी भाग में पायी जाए ।

69. वाद द्वारा अनुकल्पी उपचार—किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो इस अधिनियम के अधीन की जाए, बोर्ड, वाद द्वारा किन्हीं दरों, नुकसानियों, व्ययों, खर्चों या उसके अतिशेष के विक्रय की दशा में, जब विक्रय आगम अपर्याप्त हों या इस अधिनियम या उसके अनुसरण में बनाए गए विनियमों के अधीन बोर्ड को संदेय या उसके द्वारा वसूलनीय किन्हीं शास्तियों को वाद लाकर वसूल कर सकेगा ।

70. निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और बोर्ड द्वारा अवसंरचना का विकास—(1) बोर्ड अपने ही कर्मचारियों, ग्राहकों, कारबार भागीदारों, सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों, स्थानीय समुदाओं, पर्यावरण और सम्पूर्ण समाज को सामाजिक फायदों, जिनके अंतर्गत

शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासन, वास-सुविधा, कौशल विकास, प्रशिक्षण और आमोद-प्रमोद संबंधी क्रियाकलाप भी हैं, को उपलब्ध कराने के लिए अपनी निधियों का उपयोग कर सकेगा ।

(2) निगम सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए निधियों का उपयोग करने की रीति वह होगी, जो विहित की जाए ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "निगम सामाजिक उत्तरदायित्व" पद से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 135 की उपधारा (1) में यथा निर्दिष्ट संबंद्ध महापत्तन द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप अभिप्रेत हैं ।

71. केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध हो सकेंगे, अर्थात् :—

(क) चयन समिति की संरचना और धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को नियुक्त करने की रीति ;

(ख) धारा 4 की उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन बोर्ड के सदस्यों को नियुक्त करने की रीति ;

(ग) धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन की गई किसी जांच का संचालन करने की प्रक्रिया ;

(घ) धारा 11 के अधीन स्वतंत्र सदस्यों को संदेय मानदेय ;

(ङ) धारा 25 के अधीन महायोजना सृजित करने के लिए प्राचल ;

(च) धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन परिमाप, फीस, दर और शर्तों के नियतन और कार्यान्वयन के लिए सन्नियम;

(छ) धारा 32 के अधीन न्यायनिर्णायक बोर्ड के समक्ष आवेदन फाइल करने का प्ररूप, रीति और फीस ;

(ज) धारा 40 की उपधारा (3) के अधीन राशियों का उपयोजन करने की रीति ;

(झ) वे प्रयोजन, जिनके लिए बोर्ड द्वारा प्राप्त धनों का धारा 43 की उपधारा (3) के अधीन उपयोजन किया जाएगा ;

(ञ) वह प्ररूप, जिसमें बोर्ड धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा ;

(ट) धारा 56 की उपधारा (3) के अधीन न्यायनिर्णायक बोर्ड के पीठासीन अधिकारी और सदस्यों की नियुक्ति की रीति ;

(ठ) धारा 56 की उपधारा (5) के अधीन न्यायनिर्णायक बोर्ड के पीठासीन अधिकारी और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें;

(ड) धारा 57 की उपधारा (5) के अधीन किसी जांच को संचालित करने की प्रक्रिया ;

(ढ) धारा 58 की उपधारा (2) के अधीन न्यायनिर्णायक बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ;

(ण) धारा 58 की उपधारा (3) के खंड (घ) के अधीन न्यायनिर्णायक बोर्ड के अन्य कृत्य ;

(त) धारा 60 की उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णायक बोर्ड के समक्ष पुनर्विलोकन का प्ररूप और उसके लिए आवेदन करने की रीति ;

(थ) धारा 61 की उपधारा (2) के अधीन न्यायनिर्णायक बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेय वेतन, भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें;

(द) धारा 70 की उपधारा (2) के अधीन निगम सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए निधियों का उपयोग करने की रीति ; और

(ध) ऐसा कोई अन्य विषय, जिसे विहित किया जाना अपेक्षित है या जो विहित किया जाए या जिसके संबंध में नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है ।

72. बोर्ड की विनियम बनाने की शक्ति—(1) बोर्ड, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से और उनके पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों से संगत विनियम बना सकेगा ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध हो सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन कारबार के संव्यवहार के लिए प्रक्रिया के नियम ;

(ख) धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन कारबार के संव्यवहार के लिए प्रक्रिया के नियम ;

(ग) धारा 18 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन कर्मचारियों की नियुक्ति ;

(घ) धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन पत्तन आस्तियों का उपयोग और विकास ;

(ङ) धारा 24 की उपधारा (3) के अधीन वह प्ररूप और रीति, जिसमें बोर्ड द्वारा संविदाएं की जाएगी ;

(च) धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन महापत्तन की योजना और विकास के प्रयोजन ;

(छ) धारा 33 की उपधारा (3) के अधीन पत्तन सुरक्षा का प्ररूप ;

(ज) धारा 36 की उपधारा (1) के अधीन दूसरी प्रति या नयी प्रतिभूति जारी करना ; और

(झ) ऐसा कोई अन्य विषय, जिसे विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित है या जो विनिर्दिष्ट किया जाए या जिसके संबंध में विनियमों द्वारा उपबंध किया जाना है ।

73. नियमों और विनियमों का रखा जाना—इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम और बोर्ड द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम और केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखे जाएंगे । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्र या सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन, यथास्थिति, उस नियम, विनियम या अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं या यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हो जाएं कि वह नियम, विनियम या अधिसूचना नहीं बनाई जानी चाहिए, तो तत्पश्चात् वह यथास्थिति, ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा/होगी या वह निष्प्रभावी हो जाएगा/जाएगी । तथापि, उस नियम, विनियम या अधिसूचना के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभावी होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

74. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति—(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परंतु इस धारा के अधीन किसी महापत्तन के संबंध में ऐसा कोई आदेश, उस तारीख से, जिसको यह अधिनियम उस महापत्तन को लागू किया जाता है, तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

75. निरसन और व्यावृत्तियां—(1) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) को निरसित किया जाता है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के निरसन के होते हुए भी,—

(क) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) के अधीन न्यासी बोर्ड और महापत्तन टैरिफ प्राधिकरण द्वारा महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अधीन किसी नियम, अधिसूचना, निरीक्षण, जारी किए गए किसी आदेश या दी गई सूचना या किसी नियुक्ति या की गई किसी घोषणा या किए गए किसी प्रचालन या दिए गए किसी निदेश या की गई किसी कार्यवाही या अधिरोपित किसी शास्ति या दंड, समपहरण या जुर्माने के संबंध में प्रमुख रूप से की गई किसी बात के बारे में, जहां तक वह इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई या ली गई समझी जाएगी ;

(ख) निरसित महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) के अधीन या उसके अनुसरण में किया गया कोई आदेश, बनाया गया कोई नियम, जारी की गई कोई अधिसूचना, विनियम, की गई कोई नियुक्ति, हस्तांतरण, बंधक, विलेख, न्यास, विशेष प्रयोजन यान, संयुक्त उद्यम, दस्तावेज या किया गया कोई करार, निदिष्ट फीस, पारित संकल्प, दिया गया निदेश, की गई कार्यवाही, निष्पादित या जारी की गई कोई लिखत या की गई कोई बात, यदि वह इस अधिनियम के प्रारंभ पर प्रवर्तन में है और इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है, तो वह प्रवर्तन में बनी रहेगी और इस प्रकार प्रभावी होगी मानो उसे इस अधिनियम के अधीन या उसके अनुसरण में किया गया है, निदिष्ट, पारित, दिया, लिया, निष्पादित, जारी या किया गया है ;

(ग) कोई सिद्धांत या विधि का नियम या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन का प्ररूप या क्रम, पद्धति या प्रक्रिया या विद्यमान प्रथा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बंधन या छूट पर इस बात के होते हुए भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि उसे क्रमशः किसी रीति में निरसित महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) के अधीन, उसमें, उसके द्वारा या उससे अभिपुष्ट किया गया है या मान्यता प्रदान की गई है या व्युत्पन्न किया गया है ;

(घ) निरसित महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) के अधीन या उसके आधार पर किसी पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति को, इस अधिनियम के अधीन या उसके आधार पर उस पद पर नियुक्त किया गया समझा जाएगा ;

(ङ) किसी अधिकारिता, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बंधन, छूट, प्रथा, पद्धति, प्रक्रिया या किसी अन्य विषय या बात को, जो अस्तित्व में या प्रवर्तन में नहीं है, पुनरीक्षित या प्रत्यावर्तित नहीं किया जाएगा ;

(च) निरसित अधिनियमितियों के अधीन कोई दस्तावेज और गठित तथा स्थापित किन्हीं निधियों को, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन गठित या स्थापित दस्तावेज और निधियां समझा जाएगा ;

(छ) निरसित अधिनियमितियों के अधीन संस्थित और इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व किसी न्यायालय के समक्ष लंबित कोई अभियोजन, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उक्त न्यायालय द्वारा उसकी सुनवाई जारी रहेगी और उसका निपटारा किया जाएगा; और

(ज) निरसित महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) के अधीन आदिष्ट किसी निरीक्षण, अन्वेषण या जांच के संबंध में कार्यवाही को इस प्रकार जारी रखा जाएगा मानो ऐसा निरीक्षण, अन्वेषण या जांच करने के लिए आदेश इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया था ;

(झ) इस अधिनियम के, मुंबई पत्तन, बंबई पत्तन न्यास अधिनियम, 1879 (1879 का 6) और कोलकाता पत्तन, कलकत्ता पत्तन न्यास अधिनियम, 1890 (1890 का 3) का लागू किया जाना, जहां तक उक्त अधिनियम मुंबई पत्तन और कलकत्ता पत्तन की संपत्तियों के नगरपालिक निर्धारण और उनसे संबद्ध विषयों को लागू होते हैं, उनका लागू रहना जारी रहेगा ।

(3) उपधारा (2) में विशिष्ट विषयों के उल्लेख के बारे में यह नहीं माना जाएगा कि वे महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) के निरसन के प्रभाव के संबंध में साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 6 के साधारण रूप से लागू होने पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं ।

76. संक्रमणकालीन उपबंध—इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व न्यासी बोर्ड के रूप में कृत्यशील बोर्ड तब तक इस प्रकार कृत्यशील रहेगा जब तक कि इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक महापत्तन के लिए बोर्ड का गठन नहीं कर दिया जाता, किंतु इस अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड के गठन होने पर, ऐसे गठन से पूर्व न्यासी बोर्ड में पदधारण करने वाले सदस्य, अपना पदधारण करना बंद कर देंगे ।